विधेयक/वित्त विधेयक, 2000

29 फरवरी, 2000 को वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा का भाषण

भाग ए

महोदय,

मैं इस सहस्राब्दी का पहला बजट प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

2. वर्ष 2000-2001 के इस बजट में कुछ अन्य उपलब्धियाँ भी शामिल हैं। यह श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व में अक्टूबर 1999 में सत्ता में आई नई सरकार का पहला बजट है। यह हमारे गणतंत्र की दूसरी अर्धशताब्दी का पहला और नई सदी का पहला बजट भी है। मुझे आशा है कि समय के साथ इसमें और भी कई उपलब्धियाँ जुड़ती जाएँगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस ऐतिहासिक दायित्व के लिए धन्यवाद देता हूँ, जिसे मैं पूरी विनम्रता से निभाने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ।

3. वर्ष 1999-2000 अनेक चुनौतियों का वर्ष रहा: कश्मीर में 50 दिनों का युद्ध, उड़ीसा में महाचक्रवात, आम चुनावों से पहले कई महीनों तक चली राजनीतिक अनिश्चितता, कुछ हद तक कमज़ोर मानसून, विश्व तेल की कीमतों में लगभग तीन गुनी वृद्धि और विश्व आर्थिक सुधार में निरंतर सुस्ती। फिर भी, हमने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया है, बहुत कुछ हासिल किया है और परिणामस्वरूप राष्ट्र और भी मज़बूत हुआ है।

4. कल मैंने सदन के समक्ष जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया, उसमें अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का विस्तृत विवरण दिया गया है। मैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। व्यापक औद्योगिक सुधार हो रहा है। खराब मौसम के कारण कृषि क्षेत्र की कम वृद्धि दर के बावजूद, इस वर्ष समग्र आर्थिक वृद्धि लगभग 6% रहने की उम्मीद है। बुनियादी ढाँचा क्षेत्र का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर है। 17 वर्षों में पहली बार मुद्रास्फीति दर लगातार 42 सप्ताह तक 4% से नीचे रही है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि नवंबर 1999 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) में पिछले नवंबर की तुलना में शून्य वृद्धि देखी गई। यह हमारे समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। सार्वजनिक खाद्य भंडार रिकॉर्ड स्तर पर हैं। निर्यात में पिछले वर्ष की नकारात्मक वृद्धि दर से उल्लेखनीय सुधार हुआ है और अप्रैल-दिसंबर 1999 में डॉलर के संदर्भ में लगभग 13% की वृद्धि हुई है। हमारे सॉफ्टवेयर निर्यात में भी तेज़ी आ रही है। हालाँकि बढ़ती अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों ने हमारे तेल आयात बिल में 6 अरब डॉलर से अधिक की वृद्धि की है, फिर भी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार ने नए रिकॉर्ड स्तर को प्राप्त कर लिया है। निवेशकों का विश्वास लौटने के साथ ही हमारे शेयर बाजार भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं।

5. अपने पिछले दो बजटों में, मैंने हमारी नीतियों में संचित कमियों को दूर किया है और हमारी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वतंत्र किया है। हमने अपने कृषि क्षेत्र को मज़बूत किया है, अपने वित्तीय बाज़ारों को ऊर्जावान बनाया है और एक रोमांचक नई अर्थव्यवस्था की नींव रखी है। अपने इस तीसरे बजट के साथ, मैं भारत को 7 से 8% प्रति वर्ष की सतत, समतापूर्ण और रोज़गार सृजनकारी विकास दर पर लाने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि एक दशक के भीतर हमारी धरती से गरीबी के अभिशाप को मिटाया जा सके। अगले 10 वर्ष भारत के विकास का दशक होंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारी रणनीति में निम्नलिखित तत्व शामिल होने चाहिए:

- हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, विशेषकर कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के विकास की नींव को मजबूत करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे नए ज्ञान-आधारित उद्योगों की क्रांतिकारी क्षमता को पोषित करना।
- वस्त्र, चमड़ा, कृषि प्रसंस्करण और लघु उद्योग क्षेत्र जैसे पारंपरिक उद्योगों को मजबूत और आधुनिक बनाना।
- बिजली, सड़क, बंदरगाह, दूरसंचार, रेलवे और वायुमार्ग में बुनियादी ढांचे की बाधाओं पर निरंतर हमला करें।
- शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाओं में कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, जिसमें समाज के सबसे गरीब और कमजोर वर्गों पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- निर्यात में तीव्र वृद्धि, उच्च विदेशी निवेश और विवेकपूर्ण बाह्य ऋण प्रबंधन के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करना।
- राजकोषीय अनुशासन का एक विश्वसनीय ढांचा स्थापित करें, जिसके बिना हमारी रणनीति के अन्य तत्व विफल हो सकते हैं।

6. इन सभी क्षेत्रों में हमें अपने लोगों की रचनात्मक ऊर्जा को उन्मुक्त करने और इस प्रकार उत्पादकता वृद्धि के लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापक आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन हमारे सुधारों को करुणा और न्याय द्वारा भी निर्देशित किया जाना चाहिए। अक्टूबर 1999 में संसद को दिए अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने दूसरी पीढ़ी के सुधारों के हमारे कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। यह बजट कार्यान्वयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है।

राजकोषीय प्रबंधन

7. आज, हमें कमज़ोर होती राजकोषीय स्थिति से उत्पन्न गंभीर चुनौती का डटकर सामना करना होगा और उस पर विजय प्राप्त करनी होगी। उच्च राजकोषीय घाटे के लंबे इतिहास ने हमें भारी सार्वजनिक ऋण और ब्याज भुगतान के लगातार बढ़ते बोझ की विरासत दी है। इस वर्ष हमने राष्ट्रीय रक्षा, चुनावों और उड़ीसा में आए महाचक्रवात पर अप्रत्याशित व्यय किया है। पाँचवें वेतन आयोग के शेष प्रभाव और राज्यों को विशेष राजकोषीय सहायता की आवश्यकता ने हमारे बोझ को और बढ़ा दिया है। इन सबके साथ-साथ विनिवेश और राजस्व प्राप्तियों में कमी ने हमारी शुद्ध उधारी आवश्यकताओं (हमारा राजकोषीय घाटा) को 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक तक बढ़ा दिया है। इससे अगले वर्ष हमारे ब्याज बिल में लगभग 10,000 करोड़ रुपये और जुड़ जाएँगे। हमें योजना, रक्षा और ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतरिम निर्णय के तहत राज्यों को अतिरिक्त धन हस्तांतरण के लिए भी अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। यदि हम संसाधन नहीं बढ़ाते हैं और इसके बजाय अगले वर्ष और भी अधिक उधारी लेते हैं, तो हम विकास की अपनी संभावनाओं को खतरे में डाल देंगे, मुद्रास्फीति की ज्वाला को फिर से भड़का देंगे, भुगतान संतुलन के एक और संकट के बीज बो देंगे और अगली पीढ़ी पर अनुचित बोझ डाल देंगे।

8. हमें अपनी राजकोषीय स्थिति को दुरुस्त करना होगा। इसके लिए कठोर निर्णय और त्याग करने होंगे। साथ ही, हमें अपनी अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित गतिशीलता को भी बनाए रखना होगा, जो सामाजिक न्याय के साथ सतत विकास सुनिश्चित कर सकती है। इसी कारण, गंभीर राजकोषीय दबाव के बावजूद, योजना के लिए बजटीय सहायता को 11,100 करोड़ रुपये बढ़ाकर 88,100 करोड़ रुपये किया जा रहा है, जबकि बजट अनुमान 1999-2000 में यह 77,000 करोड़ रुपये थी।

9. इसी प्रकार, रक्षा के मामले में भी कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन विजय में हमारी सेनाओं ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि वे दुनिया में अद्वितीय हैं। सरकार हमारी रक्षा तैयारियों की गुणवत्ता बढ़ाने और हमारी सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इस बजट में मैंने रक्षा के लिए 58,587 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो चालू वर्ष के बजट अनुमान से लगभग 13,000 करोड़ रुपये अधिक है। यह किसी भी एक वर्ष में रक्षा बजट में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। आवश्यकता पड़ने पर और भी प्रावधान किए जाएँगे। हम अपनी प्रिय मातृभूमि की एक-एक इंच की रक्षा और सुरक्षा के लिए कोई भी बलिदान देने से पीछे नहीं हटेंगे।

10. पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के व्यय की संरचना अत्यधिक कठोर हो गई है और इसमें बड़े, पूर्व-प्रतिबद्ध वृद्धि की संभावना बनी हुई है। वार्षिक बजट परिव्यय का आधे से अधिक हिस्सा हस्तांतरण भुगतान है। ब्याज भुगतान, रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, प्रमुख सब्सिडी, वेतन, भत्ते और पेंशन तथा राज्यों को गैर-योजना अनुदान, गैर-योजना व्यय का लगभग 95% और कुल व्यय का लगभग 70% है। अंतर्निहित व्यय वृद्धि को रोकने और हमारे व्यय की संरचना में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए, मैं निम्नलिखित पहल प्रस्तुत कर रहा हूँ।

- सभी चालू योजनाओं की कठोर शून्य-आधार बजट जाँच की जाएगी। मैंने पिछले साल इस पहल की घोषणा की थी और मुझे खुशी है कि 8 विभागों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। परिणामस्वरूप, 69 योजनाओं को बंद या विलय किया जाना है। शेष विभागों में यह प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।
- पदों के सृजन के मानदंडों की समीक्षा करके सरकारी विभागों की जनशक्ति आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।
- सरकारी विभागों और संस्थानों में नई भर्ती न्यूनतम आवश्यक जरूरतों तक सीमित रहेगी।
- अधिशेष कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा और पुनर्प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। अधिशेष पूल वाले कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना भी शुरू की जाएगी।
- जहां भी संभव होगा, लागत आधारित उपयोगकर्ता शुल्क लागू करने के उद्देश्य से सभी सब्सिडी की समीक्षा की जाएगी।
- मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना कोई भी नई स्वायत्त संस्था नहीं बनाई जाएगी। स्वायत्त संस्थाओं को मिलने वाले बजटीय समर्थन की समीक्षा की जाएगी और उन्हें आंतरिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- समग्र ब्याज दर संरचना के साथ तालमेल बिठाने के लिए, सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज दर 1-4-2000 से 1% घटाकर 11% की जा रही है।
- चालू व्यय के वित्तपोषण हेतु अत्यधिक घरेलू उधारी के परिणामस्वरूप ऋण भुगतान असह्य स्तर पर पहुँच गया है। इस मद में व्यय कम करने के लिए, विनिवेश से प्राप्त राशि का एक हिस्सा सरकारी ऋण चुकाने के लिए निर्धारित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है।

मैं प्रमुख सब्सिडी के बारे में कुछ और बातें थोड़ी देर बाद कहूँगा।

11. ये उपाय आवश्यक हैं और केवल एक शुरुआत हैं। हम सरकार के आकार को छोटा करने के उद्देश्य को दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ाएँगे और इस उद्देश्य के लिए एक रोडमैप तैयार करेंगे। राजकोषीय घाटे के मध्यम अवधि के प्रबंधन के लिए हमें एक राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम में निहित एक मजबूत संस्थागत तंत्र के समर्थन की भी आवश्यकता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन के एजेंडे में इसका सुझाव दिया गया था। मैंने इस मुद्दे की जाँच करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक समिति गठित की है। मुझे आशा है कि वर्ष के दौरान आवश्यक विधायी प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किए जाएँगे।

12. राजकोषीय प्रबंधन की चुनौती केवल केंद्र सरकार तक ही सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में भारी गिरावट आई है। राजस्व घाटा बढ़ गया है और राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उधारी का उपयोग बढ़ रहा है। राज्य स्तर पर राजकोषीय सुधार अत्यंत आवश्यक हो गया है। हालाँकि हमने राज्य सरकारों की हर संभव मदद की है, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा इन मुद्दों से निपटने के लिए दिखाए गए दृढ़ संकल्प ने भी इसमें बहुत मदद की है। मेरा प्रयास होगा कि अगले वर्ष राज्यों में राजकोषीय सुधारों को बढ़ावा देने के लिए और अधिक सामूहिक कदम उठाए जाएँ। ग्यारहवें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट इस संबंध में नीतिगत पहल करने के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगी।

कृषि और ग्रामीण विकास

13. मेरा दृढ़ विश्वास है कि गरीबी उन्मूलन, आय और रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उद्योग एवं सेवाओं के लिए एक उत्साहवर्धक घरेलू बाजार को बनाए रखने के लिए कृषि का सतत और व्यापक विकास आवश्यक है।

14. हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने होंगे। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संस्थागत माध्यमों से कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह इस वर्ष लगभग 41,800 करोड़ रुपये अनुमानित है। 2000-2001 में इसके 20 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 51,500 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुँचने की उम्मीद है। अपने पिछले दो बजटों में हमने ग्रामीण ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं। इस बजट में मैं पहले के कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने और आगे की पहल शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ:

- नाबार्ड द्वारा प्रबंधित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु एक लोकप्रिय और प्रभावी योजना के रूप में उभरी है। पिछले वर्ष मैंने आरआईडीएफ-V के लिए बैंकिंग क्षेत्र से 3,500 करोड़ रुपये के बढ़े हुए आवंटन की घोषणा की थी और ऋणों की चुकौती अवधि को 7 वर्ष तक बढ़ा दिया था। ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य पात्र संगठनों को ग्राम स्तरीय अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण देने की अनुमति देने के लिए आरआईडीएफ का दायरा भी बढ़ाया गया था। इस वर्ष आरआईडीएफ-VI की निधि को बढ़ाकर 4,500 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा और इस ऋण पर लगने वाले ब्याज में आधा प्रतिशत की कमी की जाएगी।

- सूक्ष्म वित्त कई देशों में गरीबी उन्मूलन के एक प्रभावी साधन के रूप में उभरा है। अपने पिछले बजट में मैंने नाबार्ड और सिडबी से सूक्ष्म उद्यम विकसित करने के लिए 50,000 स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने को कहा था। चालू वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा स्वयं ऐसे 50,000 समूहों को बैंकों से जोड़ने की संभावना है। नाबार्ड और सिडबी 2000-2001 के दौरान अतिरिक्त एक लाख समूहों को शामिल करेंगे। इस कार्यक्रम को और बढ़ावा देने के लिए, नाबार्ड में एक सूक्ष्म वित्त विकास कोष बनाया जाएगा, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बैंकों और अन्य की ओर से 100 करोड़ रुपये का प्रारंभिक योगदान होगा। यह कोष सूक्ष्म वित्त संस्थानों को प्रारंभिक निधि और प्रशिक्षण, प्रणाली प्रबंधन और डेटा निर्माण के लिए अवसंरचना सहायता प्रदान करेगा। महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों सहित कमजोर वर्गों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

- सहकारी प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हालाँकि, समय के साथ, मुख्यतः अत्यधिक नौकरशाही और राज्य सरकारों और नाबार्ड के अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र के कारण समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। कुछ राज्य सरकारों ने वास्तविक सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए पहले ही विधायी कार्रवाई की है। ग्रामीण ऋण के लिए, बैंकिंग मामलों पर RBI/NABARD की पर्यवेक्षी भूमिका का स्पष्ट चित्रण भी आवश्यक है। एक अधिक जीवंत ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली हेतु इन दो पूर्वापेक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए, मैं नाबार्ड में एक कोष की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ। सरकार द्वारा पूर्व में गठित कपूर समिति की आगामी सिफारिशों के आलोक में विवरण तैयार किया जाएगा। इस बीच, RBI बैंकों को उन सहकारी समितियों की ऋण आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की सलाह दे रहा है जो पूरी तरह से उपयोगकर्ता-सदस्यों द्वारा नियंत्रित हैं और उनके द्वारा विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित की जाती हैं।

- किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों ने मिलकर अब तक किसानों को 50 लाख से ज़्यादा कार्ड और कार्ड-सह-पासबुक जारी किए हैं। मैं नाबार्ड और वाणिज्यिक बैंकों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने प्रचार-प्रसार प्रयासों को दोगुना करें ताकि मार्च 2001 तक 75 लाख अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकें।

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूंजीकरण के हमारे प्रयासों के कारण, 158 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिचालन लाभ अर्जित कर रहे हैं। इनमें से 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने संचित घाटे को कम करने में सफल रहे हैं। ग्रामीण वित्तपोषण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के महत्व को देखते हुए, हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ बनाने के इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे।

15. योजना आयोग और कृषि मंत्रालय ने कृषि विकास की 28 अलग-अलग केंद्र प्रायोजित योजनाओं को एक व्यापक कार्यक्रम में एकीकृत करने के लिए रूपरेखा तैयार की है। इससे दोहराव समाप्त होगा, सहायता कार्यक्रम की उत्पादकता बढ़ेगी और राज्य सरकारों को क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर गतिविधियों को विकसित करने और आगे बढ़ाने के लिए अधिक लचीलापन मिलेगा। यह अभिसरण और विकेंद्रीकरण के उन लक्ष्यों की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिनकी रूपरेखा मैंने पिछले वर्ष अपने बजट में दी थी।

16. देश में भूमि उपयोग के स्वरूप, विभिन्न क्षेत्रों की कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप कृषि विकास और हमारे वन संसाधनों के संरक्षण पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हमारी दीर्घकालिक रणनीति की समीक्षा और समन्वय की तत्काल आवश्यकता है। हमें वन संपदा के संरक्षण और विकास, बंजर भूमि के इष्टतम उपयोग, जलग्रहण विकास, जैव-विविधता की सुरक्षा आदि जैसे कई संबंधित विषयों पर एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। संबंधित मुद्दों की जटिलता को देखते हुए, विभिन्न पहलुओं की जाँच करने और सरकार को उचित सिफारिशें देने के लिए संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों से युक्त एक राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति आयोग का गठन किया जाएगा।

17. हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि आर्थिक सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को मिले। सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना के पाँच तत्व, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास और सड़कें।

18. आज़ादी के 52 साल बाद भी, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं का प्रावधान बेहद असंतोषजनक बना हुआ है। हमारे 40 प्रतिशत गाँवों में सड़कें नहीं हैं; 1.8 लाख गाँवों में एक किलोमीटर के दायरे में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है; 4.5 लाख गाँवों में पेयजल की समस्या है; कुछ अनुमानों के अनुसार 140 लाख ग्रामीण आवास इकाइयों की कमी है; ग्रामीण स्वास्थ्य ढाँचे में भारी कमियाँ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं में ये बड़ी कमियाँ स्वीकार्य नहीं हैं और सरकार इन्हें शीघ्रता से दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

19. प्रारंभिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण हमारे प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इन प्रयासों को नई गति और केंद्रबिंदु प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक नया प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग पहले ही स्थापित किया जा चुका है। कुछ नई पहलों में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु "सर्व शिक्षा अभियान" नामक एक योजना शामिल है, जिसके अंतर्गत 2003 तक सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात के शेष जिलों को शामिल करने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। साक्षरता के मोर्चे पर, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि वर्ष 2005 तक साक्षरता दर को 75% तक बढ़ाया जा सके। प्रारंभिक शिक्षा के लिए योजना आवंटन अगले वर्ष 2,931 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,729 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में पेयजल आपूर्ति का एक नया विभाग स्थापित किया गया है ताकि प्रयासों को और तीव्र किया जा सके और कवरेज की गति में तेज़ी लाई जा सके। हमारा उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में सभी ग्रामीण बस्तियों में पेयजल सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। अगले वर्ष लगभग 60,000 बस्तियों और 30,000 स्कूलों को इसके दायरे में लाने का प्रस्ताव है। विभाग का परिव्यय इस वर्ष 1,807 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,100 करोड़ रुपये किया जा रहा है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 1999-2000 में 695 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 1,051 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएँगे। ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए 1,710 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

20. इन प्रयासों को और गति प्रदान करने के लिए, मैं एक नई योजना, "प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना" के शुभारंभ की घोषणा कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनता की इन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समयबद्ध कार्यक्रम चलाना है। मैं बजट में इस योजना के लिए अलग से 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहा हूँ। इसमें से 2,500 करोड़ रुपये ग्रामीण सड़कों के निर्माण और ग्रामीण संपर्क में सुधार हेतु एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करने के लिए निर्धारित किए जाएँगे। इस योजना के अंतर्गत, इन क्षेत्रों में विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय इन कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश तैयार करेंगे और इनके कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे। पूर्ववर्ती मूल न्यूनतम सेवा योजना को नई योजना में समाहित कर दिया जाएगा। इस प्रकार, ग्रामीण आबादी की पाँच बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित योजनाओं के लिए बजट में कुल प्रावधान 13,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

ग्रामीण आवास

21. शासन के एजेंडे में "सभी के लिए आवास" को एक प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 25 लाख आवास इकाइयाँ उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु योजनाएँ तैयार की गई हैं।

(*i*) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए 12 लाख से अधिक आवास उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इस हेतु बजट में 1,501 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

(*ii*) 32,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को ऋण-सह-सब्सिडी योजना के अंतर्गत 1 लाख घरों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए बजट में 92 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

(*iii*) राष्ट्रीय आवास बैंक स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अंतर्गत 1.5 लाख मकानों के निर्माण के लिए बैंकों और आवास वित्त कंपनियों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराएगा।

(*iv*) ग्रामीण क्षेत्रों में आवास वित्त की उपलब्धता को और बेहतर बनाने के लिए, सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हुडको को 350 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसमें से 200 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं और अगले वर्ष 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी करने का प्रस्ताव है। इस बढ़ी हुई इक्विटी सहायता से, हुडको इन निधियों का लाभ उठा सकेगा और आगामी वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों

में लगभग 9 लाख घरों के निर्माण के लिए वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करने हेतु और संसाधन जुटा सकेगा।

(*v*) सहकारी क्षेत्र और स्वैच्छिक एजेंसियां आदि अन्य 1.5 लाख घरों के निर्माण में सहायता करेंगी।

गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा

22. हमारी एक तिहाई से ज़्यादा आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। हमारे समाज के सबसे गरीब तबके को भी कुछ सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। मैंने एक नई सामूहिक बीमा योजना, "जनश्री बीमा योजना" शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में 20,000 रुपये, आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता की स्थिति में 50,000 रुपये और दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में 25,000 रुपये का बीमा कवर मिलेगा। प्रीमियम बीमांकिक आधार पर तय किया जाएगा। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रतिभागियों को केवल आधा प्रीमियम देना होगा, शेष राशि भारतीय जीवन बीमा निगम के मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कोष की आय से दी जाएगी, जिसे सरकार द्वारा उचित रूप से बढ़ाया जाएगा। इस आधार पर, लाभार्थी द्वारा भुगतान किया जाने वाला मासिक प्रीमियम 10 रुपये या उससे कम होने की उम्मीद है। यह योजना हमारे देश के सबसे गरीब लोगों के लिए बीमा कवर की एक मज़बूत नींव रखेगी।

महिला सशक्तिकरण

23. राष्ट्रीय संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच में सुधार और आर्थिक विकास की मुख्यधारा में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका से संबंधित सभी मौजूदा कानूनों और सरकारी योजनाओं की समीक्षा हेतु एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन करेगी। यह कार्यबल हमें 2001 को "महिला सशक्तिकरण वर्ष" के रूप में मनाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करने में मदद करेगा।

जनसंख्या, स्वास्थ्य और पर्यावरण

24. सरकार ने हाल ही में एक नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य 2010 तक कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर तक लाना है। इस उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए, परिवार कल्याण विभाग के योजना आवंटन को बजट अनुमान 1999-2000 के 2,920 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले वर्ष 3,520 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

25. हमारी स्वास्थ्य सेवा में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी की भूमिका को मान्यता देते हुए, संबंधित विभाग के लिए योजना आवंटन दोगुना किया जा रहा है। औषधि मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, महाविद्यालयों के आधुनिकीकरण, औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और औषधि निर्माण पर ज़ोर दिया जाएगा। इससे हर्बल औषधि निर्माण के निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।

26. हमें भावी पीढ़ियों के लिए अपने वनों और पर्यावरण का संरक्षण और पोषण करना होगा। मैंग्रोव के पुनर्जनन और तटीय रेखा के किनारे आश्रय-पट्टियों के निर्माण, बांस पुनर्जनन और वनीकरण कार्यक्रम, औषधीय पौधों और पारिस्थितिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण पर्यावरण के संरक्षण से हमारे समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

लघु उद्योग

27. लघु उद्योग क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन, रोज़गार सृजन और निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बढ़ती घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में, हमारी रणनीति ऋण और प्रौद्योगिकी की प्रोत्साहन नीतियों के माध्यम से इस क्षेत्र को समर्थन प्रदान करना है। लघु उद्योग इकाइयों को ऋण प्रवाह में सुधार हेतु, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता/करती हूँ:

- बहुत छोटी इकाइयों को बैंक ऋण प्रवाह में संपार्श्विक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता एक बड़ी बाधा है। आरबीआई ने हाल ही में एक लाख रुपये तक के ऋण के लिए संपार्श्विक आवश्यकता को समाप्त करने के निर्देश जारी किए हैं। लघु क्षेत्र के लिए इस सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा रहा है।
- सिडबी और बैंकों की मौजूदा समग्र ऋण योजना, एकल खिड़की के माध्यम से कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण उपलब्ध कराकर छोटे उधारकर्ताओं की मदद करती है। छोटे उधारकर्ताओं के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए, समग्र ऋण सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जा रहा है।
- मैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अनुरोध करता हूँ कि वे लघु उद्योग शाखाओं के अपने कार्यक्रम में तेज़ी लाएँ ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक ज़िले और ज़िलों के भीतर स्थित लघु उद्योग समूहों को कम से कम एक विशिष्ट लघु उद्योग बैंक शाखा द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाएँ। इसके अलावा, बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए, लघु उद्योग शाखाओं को आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है।
- पिछले साल, मैंने घोषणा की थी कि लघु उद्योगों के लिए एक ऋण गारंटी योजना शुरू की जाएगी। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस उद्देश्य के लिए एक नई केंद्रीय योजना तैयार की गई है और बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना सिडबी के माध्यम से क्रियान्वित की

जाएगी और बैंकिंग क्षेत्र से 10 लाख रुपये तक के ऋणों को कवर करेगी। गारंटीकृत ऋण प्रतिभूतिकृत होंगे और द्वितीयक ऋण बाजार में व्यापार योग्य होंगे।

28. सिडबी राष्ट्रीय इक्विटी फंड योजना का संचालन करता है जिसके अंतर्गत 15 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए इक्विटी सहायता प्रदान की जाती है। लघु उद्योग उद्यमियों की और सहायता के लिए, इस सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाएगा।

29. सिडबी वर्तमान में लघु उद्योग इकाइयों के प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी विकास आधुनिकीकरण निधि योजना का संचालन कर रहा है। इस योजना में कुछ रियायती सुविधाएँ शामिल हैं, जिनमें प्रत्यक्ष सहायता के लिए प्राइम लेंडिंग दर पर ब्याज और अप्रत्यक्ष वित्तपोषण के लिए प्राइम दर से 2% कम दर पर पुनर्वित्त शामिल है। इस योजना का संचालन अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है।

30. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) कम प्रति व्यक्ति निवेश वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन के साधन के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहित करती रहेगी ताकि इसके उत्पाद और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें। विपणन प्रयासों को तीव्र करने के लिए, केवीआईसी अपने उत्पादों के लिए एक साझा ब्रांड नाम प्रस्तुत करेगा और घरेलू तथा निर्यात विपणन के लिए एक पेशेवर रूप से प्रबंधित विपणन कंपनी भी स्थापित करेगा।

उद्योग और पूंजी बाजार

31. पिछली सहस्राब्दियों में, भारत ने ज्ञान के आधार पर विश्व का नेतृत्व किया। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। युवा भारतीय उद्यमी, चाहे सिलिकॉन वैली हो, बैंगलोर हो या हैदराबाद, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने हमें दिखाया है कि कैसे विचार, ज्ञान, उद्यमिता और प्रौद्योगिकी मिलकर आय, रोजगार और धन में अभूतपूर्व वृद्धि ला सकते हैं। 5 साल पहले अज्ञात कंपनियाँ आज विश्व में अग्रणी बन गई हैं। हमें ज्ञान-आधारित उद्यम और रोजगार सृजन के इस विकास को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।

32. भविष्य की सफलता का एक प्रमुख घटक वेंचर कैपिटल फाइनेंस है। गहन समीक्षा के बाद, मैं वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए कर व्यवस्था में व्यापक उदारीकरण का प्रस्ताव रख रहा हूँ। मैं इसका विवरण बाद में दूँगा। प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए, सेबी घरेलू और विदेशी दोनों वेंचर कैपिटल फंड्स के पंजीकरण और विनियमन के लिए एकल-बिंदु नोडल एजेंसी होगी। वेंचर गतिविधियाँ केवल डॉटकॉम कंपनियों तक सीमित नहीं हैं! वेंचर फाइनेंस के योग्य विचार और उद्यमशीलता अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पाई जा सकती है। कर कानून और सेबी दिशानिर्देश इसी के अनुसार तैयार किए जा रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह उदारीकरण सिलिकॉन वैली और अन्य जगहों पर रहने वाले प्रवासी भारतीयों को अपनी पूँजी, ज्ञान और उद्यमशीलता का कुछ हिस्सा अपनी मातृभूमि में उद्यमों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

33. हाल के महीनों में भारत सहित पूरी दुनिया के शेयर बाज़ारों में तेज़ी देखी गई है। अनुभव ने हमें सिखाया है कि मुश्किल दौर भी आ सकता है। ऐसे मुश्किल दौर में ही शेयर बाज़ारों के निवेशक सुरक्षा कोष जैसी संस्थाएँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मैं अपने भाषण के भाग 'बी' में इस पर कुछ कहूँगा।

34. हमारे विवेकपूर्ण वृहद-आर्थिक प्रबंधन और मुद्रा परिवर्तनीयता के प्रति संतुलित दृष्टिकोण के कारण, हमने पिछले दो वर्षों के पूर्वी एशियाई संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है। लेकिन हमें सावधानी को डरपोकपन से नहीं जोड़ना चाहिए। हमें भारतीय फर्मों और व्यवसायों को मज़बूत, भारत-आधारित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए, हमारी फर्मों को पूँजी खाता लेनदेन, विशेष रूप से विदेशों में व्यवसायों के अधिग्रहण के लिए, अधिक लचीलापन प्रदान करना आवश्यक है। पिछले महीने, सरकार ने एक नीति की घोषणा की थी जिसके तहत भारतीय कंपनियों को बिना पूर्व सरकारी अनुमोदन के एडीआर/जीडीआर जारी करके निवेश हेतु धन जुटाने की अनुमति दी गई थी। इस राशि का 50% तक हिस्सा वे विदेशी बाज़ार में कंपनियों के अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। हमने 27 दिसंबर, 1999 को स्वचालित आधार पर 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के स्टॉक स्वैप विकल्पों के माध्यम से विदेशी बाज़ार में सॉफ़्टवेयर कंपनियों के अधिग्रहण के लिए एक उदारीकृत तंत्र की भी घोषणा की थी। मैं विदेशों में कंपनियों के अधिग्रहण के लिए इस नीति को और उदार बनाने की योजना बना रहा हूँ ताकि ज्ञान-आधारित क्षेत्रों में भारतीय कॉर्पोरेट्स तेज़ी से विकास कर सकें और उन क्षेत्रों में भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आधार तैयार कर सकें जहाँ हमें तुलनात्मक आर्थिक लाभ है। अन्य क्षेत्रों में अधिग्रहण के लिए भी, मैं भारतीय कंपनियों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत अधिकतम सीमा को मौजूदा 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर करने का प्रस्ताव करता हूं, तथा इससे अधिक सीमा को विदेशी निवेश समिति के अनुमोदन से बढ़ाया जाएगा।

35. पोर्टफोलियो निवेश की मौजूदा नीति के तहत, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को किसी कंपनी में कुल 24% इक्विटी शेयरों तक निवेश करने की अनुमति है, जिसे निदेशक मंडल की स्वीकृति और कंपनी की आम सभा के विशेष प्रस्ताव के अधीन 30% तक बढ़ाया जा सकता है। हमारी सर्वश्रेष्ठ कंपनियों को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश तक अधिक पहुँच प्रदान करने के लिए, मैं इस सीमा को 30% से बढ़ाकर 40% कर रहा हूँ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

36. हमारे ज्ञान-आधारित उद्योगों का निरंतर विकास अंततः हमारे समाज में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति और प्रशिक्षण की गुणवत्ता और विस्तार पर निर्भर करेगा। हमें पिछले महीने भारतीय विज्ञान कांग्रेस में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित आधुनिक भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपनी क्षमता का दोहन करना होगा। प्रासंगिक प्रौद्योगिकी विज़न परियोजनाओं को शुरू करने और हमारे विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के

बीच सहयोग बढ़ाने के लिए, मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद के बजट में 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान कर रहा हूँ। मैं नई सहस्राब्दी भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल शुरू करने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के बजट में भी 50 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहा हूँ। यह उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगा जो राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करते हैं और सरकार एवं निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी पर आधारित होंगे।

37. नई बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था का पूरा लाभ उठाने के लिए, हमें अपने वैज्ञानिकों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को उनके पेटेंट प्रयासों को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। सरकार ने विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान के माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकारों से प्राप्त राजस्व को अपने पास रखने और आविष्कारक के साथ राजस्व का एक हिस्सा साझा करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

38. पेटेंट कार्यालय और ट्रेडमार्क रजिस्टर का आधुनिकीकरण लंबे समय से लंबित है। सरकार ने पेटेंट कार्यालय के लिए 75 करोड़ रुपये की आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी दी है और हम इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सभी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे।

बैंकिंग व वित्त

39. हाल के पूर्वी एशियाई संकट ने बैंकिंग क्षेत्र को मज़बूत बनाने के लिए सुधारों के महत्व को रेखांकित किया है। हाल के वर्षों में, भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों के लिए व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करता रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता मानदंडों को पूरा करने और बैंकों को अपने परिचालन का विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिक पूँजी की आवश्यकता होगी। सरकारी बजट पर भारी दबाव के कारण, यह पूँजी जनता से जुटानी होगी, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी शेयरधारिता में कमी आएगी। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार की न्यूनतम शेयरधारिता की आवश्यकता को घटाकर 33% करने हेतु बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर नरसिम्हन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। यह बैंकों के सार्वजनिक क्षेत्र के स्वरूप को बदले बिना और यह सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा कि नए जारी किए गए शेयरों में जनता की व्यापक भागीदारी हो। समिति ने यह भी विचार व्यक्त किया था कि बैंकों के निदेशक मंडलों को कॉर्पोरेट रणनीति और व्यवसाय प्रबंधन के सभी पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता होनी चाहिए और वे हितधारकों, अर्थात् शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और आम जनता के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। विशेष रूप से, राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी। बैंकों के निदेशक मंडलों को आवश्यक लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विधायी प्रावधानों में आवश्यक परिवर्तन करने का प्रस्ताव है।

40. जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं, कमज़ोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्गठन पर कार्य समूह की रिपोर्ट में एक वित्तीय पुनर्गठन प्राधिकरण (FRA) के गठन का सुझाव दिया गया था। FRA का एक संशोधित संस्करण बनाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार, किसी भी बैंक के संबंध में, जिसे कमज़ोर या संभावित रूप से कमज़ोर माना जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाले क़ानूनों में संशोधन किया जाएगा ताकि RBI की सिफारिशों के आधार पर निदेशक मंडल के अधिक्रमण का प्रावधान किया जा सके और ऐसे बैंक के लिए विशेषज्ञों और पेशेवरों से युक्त एक FRA का गठन किया जा सके। ये संशोधन FRA को बैंक के बोर्ड की सभी शक्तियों सहित विशेष शक्तियों का प्रयोग करने में भी सक्षम बनाएंगे।

41. सरकार किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को बंद नहीं करेगी। बैंकों के ज़िम्मेदार स्वामी के रूप में, सरकार ने निर्धारित पूँजी पर्याप्तता मानदंडों को प्राप्त करने के लिए कमज़ोर बैंकों के पुनर्पूंजीकरण पर विचार करने का निर्णय लिया है, बशर्ते कि संबंधित बैंकों द्वारा स्वामी के रूप में सरकार और नियामक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक को स्वीकार्य एक व्यवहार्य पुनर्गठन कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाए।

42. हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) का उच्च स्तर निरंतर चिंता का विषय है। बैंक बकाया राशि की वसूली हेतु कुशल और प्रभावी तंत्र एनपीए को कम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अध्यादेश जारी करके बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में व्यापक संशोधन किए गए हैं। पाँच और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और चार और ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित किए जा चुके हैं या स्थापना के अंतिम चरण में हैं। मैं बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बकाया राशि के शीघ्र न्यायनिर्णयन और वसूली को सुगम बनाने के लिए मुंबई में चार और डीआरटी तथा कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई में एक-एक और डीआरटी स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

43. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच उधारकर्ताओं और संभावित उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण संबंधी जानकारी साझा करने हेतु बेहतर संस्थागत तंत्र के माध्यम से नए एनपीए की वृद्धि को भी रोका जा सकता है। ऋण सूचना ब्यूरो की स्थापना हेतु तौर-तरीकों की जाँच हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित एक कार्यदल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसकी अनुशंसा के आधार पर जल्द ही एक ऋण सूचना ब्यूरो की स्थापना की जाएगी।

44. आधुनिक वित्त की तेज़ी से बदलती दुनिया में, मौद्रिक नीति के संचालन और वित्तीय प्रणाली के विनियमन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को अधिक परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करना आवश्यक हो गया है। तदनुसार, मैं संबंधित कानून में संशोधन हेतु संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

45. इसी प्रकार, सरकारी ऋण बाजार के विकास को सुगम बनाने के लिए विधायी ढांचे को सरकारी प्रतिभूति अधिनियम के माध्यम से मजबूत और आधुनिक बनाने की आवश्यकता है, जिसे मैं पुराने सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944 के स्थान पर लाने का प्रस्ताव करता हूं।

46. भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, कोलकाता स्थित एकमात्र विकास वित्तीय संस्थान है। अपने व्यवसाय में विविधता लाकर और उसका विस्तार करके इसकी व्यवहार्यता और लाभप्रदता में सुधार लाने के लिए, सरकार कंपनी की अधिमान्य पूँजी में अभिदान करेगी।

47. एनबीएफसी वित्तीय मध्यस्थों के रूप में और उद्योग एवं सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पिछले तीन वर्षों में, आरबीआई ने इस क्षेत्र के विनियमन को सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुव्यवस्थित एनबीएफसी को ही जनता से जमा स्वीकार करने की अनुमति हो। मैं एक नया विधेयक लाने का प्रस्ताव करता हूँ जो एनबीएफसी की *दुर्भाविनापूर्ण या धोखाधड़ीपूर्ण कार्रवाइयों की स्थिति में जमाकर्ताओं के हाथ मज़बूत करेगा।*

आधारभूत संरचना

48. बुनियादी ढाँचा सेवाएँ हमारी अर्थव्यवस्था के तीव्र और सतत विकास में एक प्रमुख बाधा बनी हुई हैं। हमने निजी बुनियादी ढाँचा सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने और अधिकांश बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामक ढाँचे स्थापित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमने इन क्षेत्रों में मौजूदा सार्वजनिक संस्थाओं को अधिक परिचालन और वाणिज्यिक स्वायत्तता देने का भी प्रयास किया है। हम आगामी वर्ष के दौरान दूरसंचार, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं के निगमीकरण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएँगे।

49. प्रधानमंत्री ने सड़क विकास के लिए एक प्रमुख पहल, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) की घोषणा की है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 54,000 करोड़ रुपये है। अपने पिछले बजटों में, मैंने पेट्रोल और डीज़ल पर एक रुपये प्रति लीटर का उपकर लगाने की घोषणा की थी और इसका एक बड़ा हिस्सा एनएचडीपी के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है। इस परियोजना के व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य घटकों के लिए संसाधनों को और बढ़ाने के लिए, मैं अपने भाषण के भाग 'ख' में कुछ और कहूँगा।

50. विद्युत क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए योजना परिव्यय 7,626 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 9,194 करोड़ रुपये कर दिया गया है। टिहरी जलविद्युत और नाथपा जाखड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता में वृद्धि की गई है ताकि ये दोनों परियोजनाएँ मार्च 2002 तक चालू हो सकें। राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को चालू करने के लिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से ऋणों पर ब्याज सब्सिडी हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

51. विद्युत क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया को गति देने, पुराने एवं अकुशल संयंत्रों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण पर निवेश करने तथा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए, राज्य विद्युत वितरण कंपनियों को सहायता प्रदान करने हेतु एक नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय योजना सहायता प्रदान की जाएगी।

52. राज्य विद्युत बोर्डों पर केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत एवं कोयला कम्पनियों का भारी बकाया है। राज्य विद्युत बोर्डों को इन बकाया राशियों के भुगतान में सहायता के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से इन बकाया राशियों के प्रतिभूतिकरण हेतु एक योजना को अंतिम रूप दिया गया है। केंद्र सरकार का सहयोग राज्य विद्युत बोर्डों के संचालन में सुधारों से जुड़ा होगा।

53. माननीय सदस्यगण जानते हैं कि सेतु समुद्रम जहाज़ नहर परियोजना में पूर्वी और पश्चिमी तट के बंदरगाहों के बीच एक छोटा मार्ग उपलब्ध कराने की क्षमता है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने 4.8 करोड़ रुपये की कुल लागत से इस परियोजना के विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को मंज़ूरी दे दी है। मैंने इसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान कर दिया है।

विनिवेश/निजीकरण/सार्वजनिक क्षेत्र पुनर्गठन

54. सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति सरकार की नीति स्पष्ट एवं सुस्पष्ट है। इसके मुख्य तत्व हैं:-

- संभावित रूप से व्यवहार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन और पुनरुद्धार करना;
- उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद कर दिया जाएगा जिन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता;
- यदि आवश्यक हो तो सभी गैर-रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी इक्विटी को 26% या उससे कम तक लाया जाएगा; और
- श्रमिकों के हितों की पूर्ण सुरक्षा करना।

55. इस नीति के अनुरूप, पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा 20 सार्वजनिक उपक्रमों के वित्तीय पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। परिणामस्वरूप, कई सार्वजनिक उपक्रम अपने परिचालनों का पुनर्गठन करने, उत्पादकता में सुधार करने और कार्यनिष्पादन में उल्लेखनीय सुधार लाने में सक्षम हुए हैं। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि सरकार ने हाल ही में हमारे नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों में से एक, सेल के पुनर्गठन हेतु एक व्यापक पैकेज को मंजूरी दी है।

56. कई सार्वजनिक उपक्रम रुग्ण अवस्था में हैं और उनका पुनरुद्धार संभव नहीं है। कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए एक स्वीकार्य सुरक्षा-जाल प्रदान करने के बाद, इन उपक्रमों को बंद करना ही एकमात्र विकल्प है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत संसाधन ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों के लिए स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। साथ ही, इन सार्वजनिक उपक्रमों के पास ऐसी परिसंपत्तियाँ हैं, जिन्हें यदि अलग करके प्राप्त किया जाए, तो उनका उपयोग वीएसएस के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है। सरकार इन परिसंपत्तियों की सुरक्षा के बदले बाजार से संसाधन जुटाने की व्यवस्था करेगी और इन निधियों का उपयोग श्रमिकों और कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा-जाल प्रदान करने के लिए करेगी।

57. सरकार ने विनिवेश और निजीकरण के लिए एक व्यवस्थित नीतिगत दृष्टिकोण स्थापित करने और इस कार्यक्रम को नई गति देने हेतु हाल ही में एक नया विनिवेश विभाग स्थापित किया है, जो चिन्हित सार्वजनिक उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री पर अधिकाधिक ज़ोर देगा। सभी गैर-रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी इक्विटी को घटाकर 26% या उससे कम कर दिया जाएगा और कर्मचारियों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी। विनिवेश और निजीकरण से प्राप्त संपूर्ण राशि का उपयोग सामाजिक क्षेत्रों में व्यय को पूरा करने, सार्वजनिक उपक्रमों के पुनर्गठन और सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए किया जाएगा।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र

58. सरकार पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के तीव्र आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बुनियादी ढाँचे, विशेष रूप से हवाई अड्डों, रेलवे, बिजली और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में व्याप्त अलगाव की भावना को दूर किया जा सके। व्यावसायिक शिक्षा की और अधिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए, अगले दो वर्षों के भीतर पूर्वोत्तर राज्यों में 50 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 446 कंप्यूटर सूचना केंद्र स्थापित किए जाएँगे।

59. पूर्वोत्तर में कृषि एवं बागवानी विकास की संभावनाओं को साकार करने के लिए लघु सिंचाई एवं बागवानी योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी विकास के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन भी शुरू किया जाएगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

60. अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की साक्षरता को बढ़ावा देने और उनके शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के लिए, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पर विशेष बल दिया जाएगा। इस योजना के लिए बजटीय प्रावधान 72 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 130 करोड़ रुपये किया जा रहा है। इस योजना में महिला साक्षरता पर विशेष जोर दिया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि देश में लगभग 6 लाख सफाईकर्मियों को मुक्त कराना और उनका पुनर्वास करना हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य होगा। एक नई रणनीति तैयार की जाएगी जिसके अंतर्गत सफाईकर्मियों को स्वयं सहायता सहकारी समितियों में संगठित किया जाएगा और उन्हें सरकार तथा संबंधित वित्त विकास निगमों से सहायता प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर अधिक ध्यान देने के लिए, एक नया जनजातीय कार्य मंत्रालय स्थापित किया गया है। जनजातीय कल्याण के लिए योजनागत आवंटन 684 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 810 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

1999-2000 के लिए संशोधित अनुमान

61. यह बजट के लिए एक कठिन वर्ष रहा है, जिसमें व्यय में वृद्धि और कर संग्रह में कुछ कमी देखी गई है। बजटीय व्यय में 7% की वृद्धि हुई है, जबकि बजटीय कर संग्रह में 4% की कमी अनुमानित है। गैर-योजनागत व्यय में 17,461 करोड़ रुपये (2,06,882 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 8.4%) और योजनागत व्यय में 2,395 करोड़ रुपये (77,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 3.1%) की वृद्धि हुई है। गैर-योजनागत व्यय में प्रमुख वृद्धि पेंशन भुगतान (4,173 करोड़ रुपये), ब्याज भुगतान (3,425 करोड़ रुपये), राज्यों को विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम (3,000 करोड़ रुपये), रक्षा (2,810 करोड़ रुपये), ब्याज सब्सिडी (1,304 करोड़ रुपये), खाद्य सब्सिडी (1,000 करोड़ रुपये), डाक घाटा (848 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से राज्यों को सहायता (1,064 करोड़ रुपये) के कारण हुई है। योजनागत पक्ष में, मुख्य वृद्धि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास (1,900 करोड़ रुपये), राज्य सड़कें (1,000 करोड़ रुपये), रेलवे सुरक्षा (200 करोड़ रुपये), जम्मू और कश्मीर को विशेष सहायता और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्यों को बढ़ी हुई सहायता के कारण हुई है। लगभग रु. विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के बजट से बचत में से पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में परियोजनाओं/योजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये जारी किए जाने की उम्मीद है।

62. केंद्र के लिए शुद्ध कर राजस्व 1,26,469 करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि बजट में 1,32,365 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था, जो लगभग 5,900 करोड़ रुपये की कमी को दर्शाता है। यह कमी मुख्य रूप से गैर-तेल आयातों के डॉलर मूल्य में बहुत कम वृद्धि के कारण कम सीमा शुल्क राजस्व और वर्ष के अधिकांश समय में विनिर्मित उत्पादों में कम मुद्रास्फीति के कारण कम उत्पाद शुल्क राजस्व के कारण है। विनिवेश प्राप्तियाँ 10,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले 2,600 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है।

63. इस प्रकार राजकोषीय घाटा बजट लक्ष्य 4.0% से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 5.6% हो जाने की संभावना है।

2000-2001 के लिए बजट अनुमान

64. वर्ष 2000-2001 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 3,38,487 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें से 88,100 करोड़ रुपये योजनागत तथा 2,50,387 करोड़ रुपये गैर-योजनागत है।

योजना व्यय

65. केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए बजट सहायता 88,100 करोड़ रुपये रखी गई है, जो 1999-2000 के संशोधित अनुमानों से 8,705 करोड़ रुपये अधिक है। केंद्रीय योजना के लिए सकल बजटीय सहायता 1999-2000 के संशोधित अनुमानों के 43,661 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 51,276 करोड़ रुपये की जा रही है। कुल केंद्रीय योजना परिव्यय 1,17,334 करोड़ रुपये होगा, जो पिछले वर्ष के 96,310 करोड़ रुपये के स्तर से 21,024

करोड़ रुपये अधिक है, जो 22% की भारी वृद्धि है। 2000-2001 की योजना बुनियादी ढाँचे पर केंद्रित है, जिसमें ऊर्जा, परिवहन और संचार कुल केंद्रीय योजना परिव्यय का 60% हिस्सा हैं। सामाजिक सेवाओं के लिए परिव्यय 1999-2000 के संशोधित अनुमानों से 21.5% अधिक है।

66. वर्ष 2000-2001 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय योजना सहायता 36,824 करोड़ रुपये रखी गई है, जबकि 1999-2000 के संशोधित अनुमानों में यह 35,735 करोड़ रुपये थी।

गैर-योजना व्यय

67. 2000-2001 में गैर-योजनागत व्यय 2,50,387 करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि 1999-2000 के संशोधित अनुमानों में यह 2,24,343 करोड़ रुपये था, जो 26,044 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। गैर-योजनागत व्यय में वृद्धि मुख्यतः रक्षा (10,083 करोड़ रुपये), ब्याज भुगतान (9,841 करोड़ रुपये) और राज्यों को अनुदान (9,392 करोड़ रुपये) में हुई है। हालाँकि, इस वृद्धि की भरपाई खाद्य और उर्वरक सब्सिडी के कारण होने वाले व्यय में कमी करके आंशिक रूप से की जा सकती है।

68. खाद्य और उर्वरक पर प्रमुख सब्सिडी हमारे गैर-योजना व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जिस दर से ये सब्सिडी भुगतान बढ़ रहे हैं, वह टिकाऊ नहीं है। हमें सब्सिडी उन लोगों तक सीमित करनी होगी जो गरीब और ज़रूरतमंद हैं, जबकि अन्य लोगों को अपने उपभोग के लिए भुगतान करना होगा। वास्तव में, हम गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले परिवारों तक सब्सिडी वाले भोजन की पहुँच बढ़ाना चाहते हैं ताकि वे अपनी बुनियादी पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तदनुसार, अगले वर्ष से, हम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को खाद्यान्न का आवंटन दोगुना करके 10 किलोग्राम से 20 किलोग्राम कर रहे हैं। इससे हमारे सबसे गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा में भारी वृद्धि होगी। दिसंबर, 1996 में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप, बीपीएल परिवारों के लिए खाद्यान्न का निर्गम मूल्य आर्थिक लागत के 50% पर निर्धारित किया जा रहा है। इन उपायों का कुल प्रभाव बीपीएल परिवारों के मौद्रिक खाद्य बजट में सुधार और उनकी खाद्य सुरक्षा में व्यापक वृद्धि करना होगा। यह उपलब्धि केवल एपीएल परिवारों के लिए पीडीएस निर्गम मूल्य को आर्थिक लागत पर निर्धारित करके ही संभव है। चीनी के संबंध में, आयकरदाताओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोई आवंटन नहीं किया जाएगा। अन्य लोगों के लिए, चीनी के लेवी मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्गम मूल्य 13 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया जा रहा है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, मुझे 2000-2001 में खाद्य और चीनी सब्सिडी पर व्यय 8,210 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है।

69. उर्वरक सब्सिडी के मामले में, सदस्यगण जानते हैं कि हमारी वर्तमान अवधारण मूल्य योजना में कई कमियाँ हैं। अधिकांश सब्सिडी उत्पादकों को जाती है, किसानों को नहीं। हमारी उर्वरक इकाइयों की कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए, पूंजीगत शुल्कों की सीमा तय करने सहित अवधारण मूल्य योजना को कुछ हद तक युक्तिसंगत बनाया जाएगा, जो अगले वर्ष से लागू किया जाएगा। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी मध्यम अवधि में अवधारण मूल्य योजना को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए जल्द ही एक रोडमैप प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए, यूरिया के अधिकतम खुदरा मूल्य में 15% की वृद्धि की जा रही है। विनियंत्रित उर्वरकों के मामले में रियायत की दर भी कम की जा रही है। हालाँकि, कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए डीएपी और एमओपी के अधिकतम खुदरा मूल्य में क्रमशः केवल 7% और 15% की वृद्धि की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि इन परिवर्तनों और अवधारण मूल्य योजना के कुछ युक्तिसंगत होने के कारण, 2000-2001 में उर्वरक सब्सिडी पर व्यय 12,651 करोड़ रुपये होगा।

70. ग्यारहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2000-2001 के लिए राज्यों को कर हस्तांतरण और अनुदान की अनंतिम व्यवस्था करने हेतु अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार ने आयोग द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सुझाए गए राज्यों को अनुदान हस्तांतरण के फार्मूले और मात्रा को स्वीकार कर लिया है। मैंने बजट में तदनुसार प्रावधान किए हैं।

भाग बी

71. महोदय, अब मैं अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले मैं अप्रत्यक्ष करों पर चर्चा करूँगा।

72. माननीय सदस्यगण जानते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों ही अप्रत्यक्ष करों पर अत्यधिक निर्भर हैं। हालाँकि मैंने पिछले वर्ष उत्पाद शुल्क दरों में व्यापक पुनर्गठन किया था, फिर भी इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें करदाताओं के लिए अनुपालन लागत कम करने हेतु कर संरचना में व्यापक बदलाव करने, प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत और सरल बनाने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम कर विवादों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उत्पादन बढ़ाने और नई तकनीकों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करें।

73. महोदय, उत्पाद शुल्क के संबंध में मेरे प्रस्ताव का उद्देश्य केंद्र में एकल दर वाला केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट) स्थापित करना है। मुझे विश्वास है कि इससे कम कुछ भी दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान नहीं कर सकता, उद्योग जगत की अनिश्चितताओं को दूर नहीं कर सकता और वर्गीकरण संबंधी विवादों को समाप्त नहीं कर सकता। इससे राज्यों को 1-4-2001 तक अपने बिक्री करों को वैट में परिवर्तित करने के अपने सहमत कार्यक्रम को लागू करने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा।

74. सदन को स्मरण होगा कि अपने पिछले बजट में, मैंने मूल उत्पाद शुल्क की तीन *यथामूल्य दरें, अर्थात् 8%, 16% और 24%, प्रस्तुत की थीं। मैं इन तीनों*

यथामूल्य दरों को मिलाकर 16% सेनवैट की एकल दर लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

75. इसलिए 8% उत्पाद शुल्क को समाप्त किया जा रहा है और इस दर वाली अधिकांश वस्तुओं पर 16% कर लगाया जा रहा है। हालाँकि, कुछ वस्तुओं, जिनमें मुख्यतः चिकित्सा और आम आदमी के उपयोग की वस्तुएँ शामिल हैं, को उत्पाद शुल्क से छूट दी जा रही है। ये हैं:

चिकित्सा आइटम:

- औषधीय ग्रेड ऑक्सीजन
- औषधीय ग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड
- बेहोशी की दवा
- पोटेशियम आयोडेट
- चिकित्सा और शल्य चिकित्सा दस्ताने; और

सामान्य उपयोग की वस्तुएँ—

- कटलरी और चाकू
- घरेलू कांच के बर्तन, जिसमें मुंह से उड़ाकर बनाई गई कांच की वस्तुएं भी शामिल हैं
- 20 रुपये प्रति बल्ब तक की अधिकतम खुदरा कीमत वाले बिजली के बल्ब
- 500 रुपये प्रति पीस तक की एमआरपी वाली घड़ियाँ
- टूथ पाउडर
- सैनिटरी टॉवल, शिशुओं के लिए नैपकिन, आदि और
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु साबुन

76. मैं भुनी हुई चिकोरी को छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची में शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि कॉफी स्वयं उत्पाद शुल्क से मुक्त है।

77. मैंने व्यापक जनहित में विशिष्ट कोल्ड चेन उपकरणों, जिन पर पिछले बजट में 8% की कम दर से कर लगाया गया था, को उत्पाद शुल्क से छूट देने का भी निर्णय लिया है।

78. कुछ वस्तुएँ, अपनी असाधारण प्रकृति और मूल्य वृद्धि के प्रति संवेदनशीलता के कारण, कम से कम वर्तमान समय में, विशेष व्यवहार की पात्र हैं। ये वस्तुएँ हैं मिट्टी का तेल, रसोई गैस, कपड़े धोने का साबुन, सूती धागा (सूती सिलाई धागे सहित), और कुछ अन्य प्रकार के धागे, तथा 10 अश्वशक्ति तक के डीजल इंजन। इसलिए, इनके लिए दर संरचना इस प्रकार तैयार की जा रही है कि उत्पाद शुल्क की दर में वर्तमान 8% के स्तर से कोई वृद्धि न हो, और इस प्रकार इस कारण से कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी।

79. मैंने उन वस्तुओं की सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया है जिन पर वर्तमान में 16% उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।

80. 16% सेनवैट दर के अतिरिक्त, मैं विशेष उत्पाद शुल्क की तीन दरें, 8%, 16% और 24%, प्रस्तावित करता हूँ। सेनवैट दर के विपरीत, विशेष उत्पाद शुल्क सामान्यतः संशोधित नहीं होंगे, अर्थात, उपयोगकर्ता इन शुल्कों पर संशोधित वैट क्रेडिट का लाभ नहीं उठा पाएँगे।

81. उन वस्तुओं के लिए जो मुख्यतः कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तुओं की प्रकृति की हैं, 16% सेनवैट दर उपयुक्त है। इसलिए, मैं प्लास्टिक सामग्री, प्लास्टिक की फ़िल्में और शीट, ट्रेड रबर, सेलुलर रबर, रबर की वस्तुएँ, नायलॉन फिलामेंट यार्न, कपड़ा सामग्री के ट्रांसमिशन और कन्वेयर बेल्ट, और सिंथेटिक कपड़ा सामग्री से बने बोरे और थैलों जैसी वस्तुओं को वर्तमान 24% से बढ़ाकर 16% सेनवैट की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं ओई आपूर्ति के लिए टायरों और एयर-कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटिंग मशीनरी के पुर्जों को भी 16% सेनवैट की सूची में शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि वे उत्पादन श्रृंखला में मध्यवर्ती वस्तुएँ हैं, और उन पर कोई विशेष उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

82. इसके अलावा, मैं कुछ अन्य उत्पादों पर भी शुल्क भार कम कर रहा हूँ जिन पर वर्तमान में 24% शुल्क लगता है। ये उत्पाद हैं स्टेराइल कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन, बिना मिलावट वाला शिकाकाई पाउडर, और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कारें। मेरा मानना है कि इन वस्तुओं पर 16% सेनवैट से अधिक शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

83. पंजीकृत अस्पतालों द्वारा खरीदी गई एम्बुलेंसों पर वर्तमान में 16% की रियायती दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा खरीदी गई एम्बुलेंसों पर भी यही व्यवस्था लागू कर रहा हूँ।

84. अन्य वस्तुएं जिन पर वर्तमान में 24% शुल्क लगता है, उन पर भी वही शुल्क लगता रहेगा, जिसमें 16% सेनवैट और 8% विशेष उत्पाद शुल्क शामिल है।

85. मेरे नए उत्पाद शुल्क ढांचे के अनुसार, जिन वस्तुओं पर अभी कुल 30% शुल्क लगता है, उन पर कुल 32% शुल्क लगेगा, जिसमें 16% सेनवैट और 16% विशेष उत्पाद शुल्क शामिल होगा। यह केवल 2% की मामूली वृद्धि है, जिसे, मुझे विश्वास है, इन वस्तुओं के उपभोक्ता वहन कर सकते हैं।

86. जिन वस्तुओं पर वर्तमान में कुल 40% शुल्क लगता है, उन पर अब 16% सेनवैट और 24% विशेष उत्पाद शुल्क लगेगा। हालाँकि, बोतलबंद करने वालों को आपूर्ति किए जाने वाले शीतल पेय सांद्र पर केवल 16% सेनवैट लगेगा, जो परिवर्तनीय है।

87. अब मैं MODVAT योजना और उसमें होने वाले बदलावों पर बात करूँगा। MODVAT योजना अब CENVAT योजना के नाम से जानी जाएगी।

88. वर्षों से, MODVAT नियमों और प्रक्रियाओं की व्याख्या को लेकर विभाग और करदाताओं के बीच विवादों ने व्यवस्था को त्रस्त कर दिया है। मैं इस स्थिति को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। 1 अप्रैल, 2000 से, मौजूदा नियमों की अधिकता को सरल और पारदर्शी नियमों के एक छोटे समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिससे, मुझे विश्वास है, विवादों में कमी आएगी।

89. मैं MODVAT योजना के दायरे का विस्तार और उसे युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव करता हूँ। सभी इनपुट और सभी पूंजीगत वस्तुएँ अब MODVAT योजना की पात्र सूची में शामिल हैं। केवल हाई स्पीड डीज़ल, तेल और पेट्रोल ही अपवाद होंगे। हालाँकि, मेरा प्रस्ताव है कि पूंजीगत वस्तुओं पर MODVAT क्रेडिट की उपलब्धता 1 अप्रैल, 2000 से दो वर्षों की अवधि में लागू होगी।

90. मेरे प्रस्तावों में पहली बार सिगरेट पर MODVAT योजना का पूर्ण विस्तार शामिल है, जिससे उद्योग को खुशी होनी चाहिए। हालाँकि, सिगरेट निर्माताओं के लिए अच्छी खबर यहीं समाप्त होती है। मैं सभी प्रकार की सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क की दरों में 5% की वृद्धि का प्रस्ताव करता हूँ।

91. वर्तमान में, परियोजना आयातों पर भुगतान किए गए CVD का MODVAT क्रेडिट 75% तक सीमित है। यह एक परेशानी का कारण रहा है। यह क्रेडिट अब CVD के 100% पर उपलब्ध होगा। मैंने पूंजीगत वस्तुओं पर क्रेडिट लेने के लिए पूर्व-आवश्यकता के रूप में स्थापना की शर्त को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है।

92. अब मैं कुछ क्षेत्र-विशिष्ट प्रस्तावों पर बात करूँगा। सबसे पहले मैं इस्पात पर बात करूँगा।

93. अध्यक्ष महोदय, कराधान की *यथामूल्य* संरचना अधिकांशतः विकृतियों से मुक्त, न्यायसंगत और स्वतः ही लाभदायक होती है। फ़िलहाल, मैं री-रोलर्स द्वारा उत्पादित इस्पात और इंडक्शन भट्टियों द्वारा उत्पादित इस्पात पर *यथामूल्य* उत्पाद शुल्क संरचना को बहाल करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन वस्तुओं पर 1 अप्रैल, 2000 से 16% का सेनवैट (CENVAT) लागू होगा, जिसमें MODVAT का लाभ भी शामिल होगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि री-रोलर्स और इंडक्शन भट्टियों पर लागू क्षमता आधारित कर ने समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें और बढ़ा दिया है।

94. मौजूदा कानून के तहत, डिपो से बेचे जाने वाले माल पर उत्पाद शुल्क डिपो मूल्य के आधार पर लगाया जाता है, न कि फ़ैक्टरी गेट मूल्य के आधार पर। मुझे शिकायतें मिली हैं कि इससे इस्पात की बाज़ार-क्षमता और वितरण में विकृति आई है। एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा इस्पात की आपूर्ति, चाहे वह संयंत्र से हो या स्टॉकयार्ड से, अब फ़ैक्टरी गेट मूल्य के आधार पर शुल्क लगाया जाएगा।

95. महोदय, अब मैं कपड़ा उद्योग की बात करना चाहता हूँ।

96. मैंने दिसंबर 1998 में स्वतंत्र वस्त्र प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए एक चक्रवृद्धि शुल्क योजना शुरू की थी। यह योजना अपेक्षा के अनुरूप कारगर नहीं रही और इसके कारण राजस्व में भारी गिरावट आई है; फिर भी, मैं इस योजना में अचानक कोई बदलाव नहीं करना चाहता। हालाँकि, स्थिति को सुधारने के लिए, मैं चक्रवृद्धि शुल्क की दर को मौजूदा 1.5 लाख रुपये प्रति चैंबर प्रति माह से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति चैंबर प्रति माह और 2 लाख रुपये प्रति चैंबर प्रति माह से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये प्रति चैंबर प्रति माह करने का प्रस्ताव करता हूँ। मेरे प्रस्तावों में योजना में खामियों को दूर करने के लिए कुछ संशोधन भी शामिल हैं।

97. शुल्क-भुगतान वाले पॉलिएस्टर यार्न के टेक्सचराइज़िंग में लगी इकाइयों को अब से एक विशिष्ट दर पर उत्पाद शुल्क देना होगा। इससे इन इकाइयों के संबंध में मूल्यांकन संबंधी विवादों में कमी आएगी।

98. लघु उद्योग इकाइयों को प्रति वर्ष 50 लाख रुपये तक की निकासी पर शुल्क मुक्त छूट प्राप्त है। मैं इस सीमा को बढ़ाने में असमर्थ हूँ। हालाँकि, 1 अप्रैल, 2000 से, मैं सौंदर्य प्रसाधनों और शौचालयों, एयर-कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटिंग मशीनरी और उनके पुर्जों, ट्रेड रबर और प्लास्टिक की वस्तुओं के लिए प्रचलित विशेष योजनाओं को लघु उद्योग इकाइयों के लिए छूट की सामान्य योजना के अनुरूप बनाने का प्रस्ताव करता हूँ।

99. महोदय, अब मैं अपने प्रस्तावों के अगले भाग पर आता हूँ जो प्रणाली को सुव्यवस्थित और सरल बनाने से संबंधित हैं। इनका उद्देश्य उत्पाद शुल्क प्रक्रियाओं को जटिलताओं और कठोरताओं की गुलामी से मुक्त करना और उन्हें सरल एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना है। मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा कि मेरे दर-संबंधी प्रस्तावों की तरह, ये भी मामूली समायोजनों से कहीं आगे जाते हैं और वर्तमान प्रथाओं से एक मौलिक और यहाँ तक कि एक नाटकीय बदलाव का संकेत देते हैं।

100. 1 जुलाई, 2000 से, आबकारी विभाग के सभी वैधानिक अभिलेखों को समाप्त कर दिया जाएगा। आबकारी विभाग निर्माता के अभिलेखों पर निर्भर रहेगा। इस प्रकार, इस संबंध में मेरे द्वारा अपने पिछले बजट में शुरू की गई प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

101. 1 अप्रैल, 2000 से, उत्पाद शुल्क करदाताओं को पाक्षिक किश्तों में उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की अनुमति होगी। इस प्रस्ताव के साथ, मैं उत्पाद शुल्क के दैनिक भुगतान की सदियों पुरानी प्रथा को समाप्त कर रहा हूँ। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए, पिछले वर्ष शुरू की गई मासिक भुगतान योजना जारी रहेगी।

102. इसके बाद, मैं मूल्यांकन प्रणाली को सरल, उपयोगकर्ता-अनुकूल और व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य बनाना चाहता हूँ। 1 जुलाई, 2000 से, मैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की मौजूदा धारा 4, जो "सामान्य मूल्य" की अवधारणा पर आधारित है, को मूल्यांकन के लिए "लेन-देन मूल्य" पर आधारित एक नई धारा से बदलने का प्रस्ताव करता हूँ। यह पारंपरिक दृष्टिकोण से एक क्रांतिकारी बदलाव है।

103. सदन को ज्ञात है कि कई वस्तुओं पर अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। यह प्रणाली काफी हद तक विवादों से मुक्त है और उद्योग जगत ने इसका व्यापक रूप से स्वागत किया है। मैं लगभग दो दर्जन नई वस्तुओं पर एमआरपी आधारित मूल्यांकन लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं वर्ष के दौरान इस योजना को और अधिक वस्तुओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

104. मैं औषधीय एवं प्रसाधन सामग्री (उत्पाद शुल्क) अधिनियम के अंतर्गत औषधियों और प्रसाधन सामग्री पर लागू शुल्कों की दरों को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव करता हूँ। इस अधिनियम के अंतर्गत मूल्यांकन हेतु एमआरपी-आधारित मूल्यांकन प्रावधानों का भी विस्तार किया जा रहा है। इन उपायों से राज्यों द्वारा उत्पाद शुल्क संग्रहण काफी सरल हो जाएगा और इन शुल्कों से उनकी आय में वृद्धि होगी। ये परिवर्तन अधिसूचित तिथि से लागू होंगे।

105. उपरोक्त के अतिरिक्त, मैं चूक पर ब्याज और जुर्माने के भुगतान से संबंधित प्रावधानों को भी युक्तिसंगत बना रहा हूँ। इसका विवरण वित्त विधेयक में दिया गया है।

106. इसके साथ ही उत्पाद शुल्क के पुनर्गठन और युक्तिकरण का मेरा पैकेज पूरा हो गया है। अब व्यापार और उद्योग जगत को राहत की साँस लेनी चाहिए।

107. अब मैं सीमा शुल्क से संबंधित अपने प्रस्तावों पर विचार करूंगा।

108. मुझे इस बात का एहसास है कि इस क्षेत्र में मुझे गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें घरेलू उद्योग को पर्याप्त सुरक्षा और विकास प्रोत्साहन प्रदान करने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैरिफ को संतुलित करने की आवश्यकता के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन बनाए रखना होगा। हमें सुधार और युक्तिकरण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना होगा।

109. सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, मैं मूल सीमा शुल्क की अधिकतम दर को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे सीमा शुल्क दरों की कुल संख्या 5 से घटकर 4 हो जाएगी, *अर्थात* 35%, 25%, 15% और 5%।

110. 10% का अधिभार, जिसे मैं राजस्व संबंधी कारणों से जारी रखने के लिए बाध्य हूँ, 35% की नई अधिकतम दर पर भी लागू होगा। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों, कुछ विश्व व्यापार संगठन से संबंधित वस्तुओं और सोने व चाँदी पर छूट जारी रहेगी।

111. सदन को याद होगा कि मैंने 1998-99 के अपने बजट प्रस्तावों में सीमा शुल्क पर एक विशेष अतिरिक्त शुल्क (SAD) लगाया था। इससे निर्माता-आयातकर्ता काफी निराश हुए थे। लेकिन व्यापारी खुश थे क्योंकि उन्हें इससे छूट मिली थी। मैं इस छूट को वापस लेकर इस भेदभाव को दूर कर रहा हूँ। अब सभी आयातकों को यह शुल्क देना होगा। हालाँकि, SAD पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू नहीं होगा।

112. हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि के दायित्वों के परिणामस्वरूप, 1-4-2000 से कई सौ वस्तुओं को आयात की मुक्त सूची में रखा जाएगा। इनमें से अधिकांश उपभोक्ता वस्तुएँ हैं और उनमें से कई कृषि उत्पाद हैं। इन वस्तुओं को पर्याप्त टैरिफ संरक्षण प्रदान करने के लिए, पूंजीगत वस्तुओं जैसी कुछ वस्तुओं को छोड़कर, इन्हें सर्वोच्च दर (35% + अधिभार) पर रखा जा रहा है। हमारे किसानों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पिछले वर्षों में आयात की मुक्त सूची में रखे गए कई कृषि और बागवानी उत्पादों को भी सर्वोच्च दर पर लाया जा रहा है।

113. इसके अलावा, कुछ संवेदनशील कृषि उत्पादों (गेहूँ, चावल, चीनी और खाद्य तेल) के लिए, जिनमें आपूर्ति प्रबंधन के हमारे अनुभव ने समय-समय पर टैरिफ समायोजन के महत्व को रेखांकित किया है, मैं वैधानिक टैरिफ दरों को उचित रूप से उच्च स्तर पर निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रावधान कर रहा हूँ। इससे लागू दरों को समायोजित करने के लिए आवश्यक लचीलापन मिलेगा।

114. सीमा शुल्क केवल राजस्व बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। यह हमारी औद्योगिक क्षमताओं के निर्माण और हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार का एक सशक्त माध्यम भी है। मैं इस संबंध में कई उपाय करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिनमें से तीन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये "अभिसरण क्रांति" के अभिन्न अंग हैं जो तेज़ी से एक वास्तविकता बनती जा रही है।

115. सबसे पहले, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र, जो वर्तमान उत्साह का नेतृत्व कर रहा है। मैं आईटी क्षेत्र के लिए कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम करने का प्रस्ताव करता हूँ। इनमें शामिल हैं:

- कंप्यूटर, 20% से 15% तक;
- मदर बोर्ड, 20% से 15% तक;
- फ्लॉपी डिस्केट, 20% से 15% तक;
- सेमीकंडक्टर और आईसी के विनिर्माण के लिए निर्दिष्ट पूंजीगत सामान, 15% से 5% तक।
- कंप्यूटर के लिए माइक्रोप्रोसेसर, 5% से शून्य तक;
- मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, 5% से शून्य तक;
- सीडी रोम, 5% से शून्य तक;
- एकीकृत सर्किट और माइक्रोअसेंबली 5% से शून्य तक; और
- कंप्यूटर के लिए रंगीन मॉनिटरों हेतु डेटा ग्राफिक डिस्प्ले ट्यूब 5% से शून्य तक।

116. दूरसंचार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए हमें घरेलू और वैश्विक स्तर पर जुड़ना होगा। इसलिए, मैं ऑप्टिकल फाइबर निर्माण हेतु निर्दिष्ट कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क को 15% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं उचित माध्यमों से उनकी उपलब्धता बढ़ाने और ग्रे मार्केट के खतरे को कम करने के लिए सेल्युलर फ़ोन पर शुल्क को 25% से घटाकर 5% करने का भी प्रस्ताव करता हूँ, और उनके बैटरी पैक पर शुल्क को 40% से घटाकर 15% करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। मैं निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों पर लागू 5% मूल शुल्क की रियायती दर को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर भी लागू कर रहा हूँ।

117. तीसरा, मनोरंजन उद्योग, जो भी एक अत्यंत आशाजनक क्षेत्र है। फिल्म उद्योग के लिए छायांकन की लागत कम करने और नवीनतम तकनीक तक पहुँच प्रदान करने के लिए, मैं सिनेमैटोग्राफिक कैमरों और अन्य संबंधित उपकरणों पर शुल्क 40% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं जंबो रोल में रंगीन पॉजिटिव फिल्मों और कुछ निश्चित आकार के रोल में रंगीन नेगेटिव फिल्मों पर मूल सीमा शुल्क 15% से घटाकर 5% करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। इन्हें सीवीडी से भी छूट दी जाएगी।

118. मैं इस संदर्भ में एक और क्षेत्र को शामिल करना चाहूंगा।

119. भारत रत्नों की तरह आभूषण निर्यात में भी विश्व में अग्रणी बन सकता है। मैं उच्च-गुणवत्ता वाले आभूषणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और आभूषण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्लैटिनम और गैर-औद्योगिक हीरों पर मूल सीमा शुल्क को 40% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

120. यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए, मैं रेशों, धागों, वस्त्रों और परिधानों पर सीमा शुल्क समायोजित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके परिणामस्वरूप, अब से कई प्रकार के कपड़ों और परिधानों पर उनके लिए निर्धारित शुल्क की उच्चतर दर *या* विशिष्ट दर लागू होगी।

121. जहाँ तक पेट्रोलियम क्षेत्र का संबंध है, पिछले कुछ समय से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हमारी रिफाइनरियों पर काफी दबाव डाल रही हैं और तेल पूल खाते को विकृत कर रही हैं। यह इस तथ्य से और भी बढ़ जाता है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अभी तक पूरी तरह से नियंत्रणमुक्त नहीं हुई हैं। इसलिए, मैं समानांतर विपणन हेतु केरोसिन को छोड़कर, कच्चे तेल पर मूल सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 15% और पेट्रोलियम उत्पादों पर 30% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिस पर मूल शुल्क 30% से बढ़ाकर 35% किया जा रहा है।

122. कई मामलों में, हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के तहत, बाउंड दरों को कम किया जाना है। मैं विस्तार में जाकर सदन का समय नहीं लेना चाहता। लेकिन इनके कुछ राजस्व संबंधी निहितार्थ ज़रूर हैं।

123. अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष मैंने रणनीतिक प्रकृति की वस्तुओं या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए वस्तुओं को छोड़कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में *तदर्थ* छूट देने के वित्त मंत्री के विवेकाधिकार को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस स्व-त्याग नियम से सरकार को इस वर्ष लगभग 500 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

124. अब मैं प्रक्रियागत सुधारों और करदाताओं की समस्याओं के निवारण हेतु कुछ छोटे, किन्तु महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख करूँगा। तथाकथित "कारण बताओ नोटिस *राज* " पर अंकुश लगाने के लिए। सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में, मैंने निर्णय लिया है कि अब से, 1 करोड़ रुपये से अधिक की शुल्क राशि वाले कारण बताओ नोटिस केवल सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त के अनुमोदन से ही जारी किए जाएँगे। अन्य कारण बताओ नोटिसों के लिए सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

125. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जनहित में, चूककर्ता से देय कर जल्द से जल्द राजकोष में जमा होना चाहिए। वर्तमान में, चोरी किए गए शुल्क के 100% के बराबर जुर्माना देय है, और यह अनिवार्य है, भले ही कोई व्यक्ति न्यायनिर्णयन आदेश पारित होने के तुरंत बाद भुगतान कर दे। देय कर के भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, मैंने अब प्रस्ताव रखा है कि यदि आदेश की सूचना के 30 दिनों के भीतर चोरी की गई कर राशि ब्याज सहित चुका दी जाती है, तो

चोरी किए गए शुल्क के केवल 25% के बराबर जुर्माना देय होगा। मुझे आशा है कि यह प्रलोभन, उस दंड से बेहतर होगा जो समय पर कर का भुगतान न करने पर अवश्य मिलता है।

126. सेवा कर एक आशाजनक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है, साथ ही समस्याओं का भी। कई विशेषज्ञों ने मुझे सलाह दी है कि इस कर से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे सभी सेवाओं पर एक साथ लागू किया जाए। हालाँकि, कुछ अन्य लोगों ने सेवा कर की संरचना में ही बुनियादी बदलाव करने का सुझाव दिया है। मैंने फिलहाल कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। मैं एक विशेषज्ञ समूह का गठन कर रहा हूँ जो इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करेगा, अब तक के अनुभव की समीक्षा करेगा और मुझे अपनी सुविचारित सलाह देगा।

127. उत्पाद शुल्क के संबंध में मेरे प्रस्तावों से एक वर्ष में 3,252 करोड़ रुपये की राजस्व वृद्धि होने का अनुमान है। सीमा शुल्क के संबंध में, मेरे प्रस्तावों से 1,428 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होने का अनुमान है।

128. उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए जारी अधिसूचनाओं की प्रतियां यथासमय सदन के पटल पर रखी जाएंगी।

129. अब मैं अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों पर आता हूँ।

130. अध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों की मेरी इमारत स्थिरता, आर्थिक विकास, युक्तिकरण और सरलीकरण के चार स्तंभों पर टिकी है।

131. हमारे व्यक्तिगत कराधान की मौजूदा दरें 10%, 20% और 30%, केवल तीन हैं और काफी मध्यम हैं। हालाँकि मूल छूट सीमा 50,000 रुपये है, लेकिन अन्य छूटों और कटौतियों को शामिल करने पर वास्तविक छूट सीमा बहुत अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए, वेतनभोगी व्यक्ति मानक कटौती के कारण प्रति वर्ष 75,000 रुपये से अधिक होने पर ही कर देना शुरू करते हैं। यदि बचत के लिए उपलब्ध कर छूट और कटौतियों को शामिल किया जाए, तो छूट की प्रभावी सीमा लगभग 1 लाख रुपये हो जाती है। इसलिए, मेरा मानना है कि कराधान की वर्तमान दरें और छूट सीमा दोनों ही उचित हैं। इसलिए, मैं उन्हें उसी स्तर पर बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

132. यद्यपि पिछले वर्ष लगाया गया 10% अधिभार अस्थायी था, फिर भी मैं इसे जारी रखने के लिए बाध्य हूं, क्योंकि व्यय का बोझ भारी और अप्रत्याशित है, मुख्यतः रक्षा आवश्यकताओं और वित्त आयोग द्वारा राज्यों को दिए गए हस्तांतरण के कारण।

133. जिस वर्ष कारगिल कर की चर्चा ज़ोरों पर थी, उस दौरान मैंने कोई भी अतिरिक्त कर लगाने से खुद को रोक लिया था। अब मैं उन गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं पर अधिभार को 10% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव करता हूँ जिनकी कुल कर योग्य आय प्रति वर्ष ₹1,50,000 से अधिक है। इससे उनकी सीमांत दर 33% से बढ़कर 34.5% हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि समाज के ये अपेक्षाकृत समृद्ध वर्ग इस अतिरिक्त भार को खुशी-खुशी वहन करेंगे।

134. कहीं ऐसा न लगे कि मैं कॉरपोरेट्स पर अधिभार न बढ़ाकर भेदभाव कर रहा हूं, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि उन्हें राष्ट्रीय प्रयास में अन्य तरीकों से योगदान करने का अवसर भी बाद में मिलेगा।

135. वित्तीय बाधाओं के बावजूद, मैं व्यक्तिगत कराधान पर कुछ सकारात्मक उपाय प्रस्तावित करना चाहूंगा।

136. वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अपने सक्रिय जीवन के दौरान दिए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और उनके जीवन के अंतिम वर्षों में आने वाली संभावित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मैं उनके लिए उपलब्ध कर छूट को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। 30% की सीमांत कर दर पर, यह उनकी सकल आय से अतिरिक्त 15,000 रुपये की छूट के रूप में परिवर्तित होता है, या धारा 88 के तहत समान छूट प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त 25,000 रुपये की बचत करने की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करता है।

137. मैंने हमेशा यह माना है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद, वित्त मंत्री के रूप में बजट बनाना एक औसत गृहिणी के लिए पारिवारिक बजट को संतुलित करने के काम से कहीं ज़्यादा आसान है। अर्थव्यवस्था में महिलाओं के उत्पादक योगदान के लिए उनकी सराहना और मान्यता के प्रतीक के रूप में, मैं महिला करदाताओं के लिए उनके कर दायित्व में 5,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का प्रस्ताव करता हूँ। यह छूट कुल 15,000 रुपये की सीमा के अधीन होगी, बशर्ते वे वरिष्ठ नागरिक भी हों।

138. रक्षा बलों के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के सम्मान में और उनके असाधारण साहस एवं पराक्रम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से, मैंने इन सेवाओं के वीरता पुरस्कार विजेताओं की पेंशन और पारिवारिक पेंशन को कर से छूट प्रदान की थी। अब मैं अर्धसैनिक बलों और राष्ट्रीय एवं नागरिक सुरक्षा में कार्यरत अन्य बलों के वीरता पुरस्कार विजेताओं को भी इसी प्रकार के लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

139. अब मैं आर्थिक विकास के एक सूत्रधार के रूप में कराधान की भूमिका पर विचार करूँगा। ज्ञान-आधारित उद्योग तेज़ी से भारतीय अर्थव्यवस्था के अग्रणी के रूप में उभर रहे हैं। उनके विकास में तेज़ी लाने और उनमें निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसा कि मेरे भाषण के भाग 'क' में उल्लेख किया गया है, मैं उद्यम पूंजी निधियों के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित होंगे:

(*i*) वेंचर कैपिटल फंड्स को कर प्राधिकारियों से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

(*ii*) वेंचर कैपिटल फंड्स के कर उपचार में "पास-थ्रू" का सिद्धांत लागू होगा। इनकी आय कर-मुक्त होगी, सिवाय तब जब इसे सेबी के दिशानिर्देशों में निर्धारित अवधि के भीतर वितरित न किया जाए। इसके निवेशकों के हाथों में होने वाली आय, जो अन्यथा कर योग्य होती, उसे भी कर-मुक्त रखा जाएगा, और वेंचर कैपिटल फंड द्वारा 20% की दर से केवल एकमुश्त कर का भुगतान किया जाएगा, जब फंड अपनी आय निवेशकों को वितरित करता है। यही दर अवितरित आय पर भी लागू होगी।

140. मुझे आशा है कि ये प्रोत्साहन *सरस्वती* (अर्थात ज्ञान) और *लक्ष्मी (अर्थात धन)* को एक साथ लाकर उद्यमियों और निवेशकों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे।

141. बुनियादी ढाँचा क्षेत्र के लिए पहले से ही विभिन्न कर लाभ उपलब्ध हैं। मैं इन लाभों को शहरी बुनियादी ढाँचे के दो अतिरिक्त और आवश्यक क्षेत्रों, *अर्थात्* जल उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तक विस्तारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं शहरी बुनियादी ढाँचे के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने वाली सार्वजनिक कंपनियों में निवेश को धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए स्वीकृत निवेश के रूप में शामिल करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। इससे शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास की परियोजनाओं में अधिक निवेश संभव होगा।

142. बुनियादी ढाँचे के विकास को और अधिक केंद्रित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, मैं मौजूदा प्रावधान 54EA और 54EB को हटाकर उनके स्थान पर एक नया प्रावधान लाने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसके तहत पूंजीगत लाभ पर कर छूट केवल तभी उपलब्ध होगी जब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड में निवेश किया जाएगा। इन बॉन्ड की लॉक-इन अवधि पाँच वर्ष होगी और इनसे प्राप्त राशि का उपयोग कृषि क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) को वित्त प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

143. मैं पिछले वर्ष आवास क्षेत्र पर दिए गए जोर को जारी रखने तथा पहले से उपलब्ध लाभों को दो और वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ, *अर्थात्* 31 मार्च, 2003 तक पूरे होने वाले मकानों या परियोजनाओं के लिए। मुझे आशा है कि इससे मकान निर्माण गतिविधि को बनाए रखा जा सकेगा और इसमें तेजी आएगी।

144. इस क्षेत्र के प्रोत्साहन पैकेज के पूरक के रूप में, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर में 20% की छूट अब प्रति वर्ष 20,000 रुपये तक के आवास ऋण के पुनर्भुगतान पर उपलब्ध होगी, जबकि पहले यह छूट 10,000 रुपये थी।

145. वर्तमान में, यदि आपके पास पहले से ही एक घर है और आप पूंजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से प्राप्त पूंजीगत लाभ को घर में निवेश करते हैं, तो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर से छूट उपलब्ध नहीं है। मैं इस प्रतिबंध को हटा रहा हूँ। यदि आपके पास एक घर है, तब भी करदाता नए घर में निवेश कर सकते हैं और पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर से छूट का दावा कर सकते हैं।

146. पिछले वर्ष मैंने मनोरंजन उद्योग को निर्यात लाभ पर 100% छूट का प्रावधान किया था। हालाँकि, यह लाभ केवल कॉर्पोरेट संस्थाओं तक ही सीमित था। मैं वित्तीय वर्ष 1999-2000 से कॉर्पोरेट्स को मिलने वाले लाभों को गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं तक भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे गैर-कॉर्पोरेट फिल्म निर्माताओं के साथ होने वाला कथित भेदभाव दूर होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह उद्योग तेज़ी से कॉर्पोरेटीकरण और आधुनिकीकरण की ओर बढ़ेगा, जो व्यक्तिगत रचनात्मकता पर किसी भी तरह से अंकुश लगाए बिना संभव है।

147. मनोरंजन उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने तथा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से , मैं फिल्म निर्माण के दौरान फिल्म निर्माता द्वारा कर प्राधिकारियों को किए गए भुगतान की सूचना देने की सीमा को वर्तमान 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

148. मुझे उम्मीद है कि अप्रत्यक्ष कर के मामले में मैंने जो कुछ किया है, उसके साथ ये रियायतें मिलकर मनोरंजन उद्योग को आश्वस्त करेंगी कि *"हम साथ-साथ हैं"*।

149. नौवहन हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिवहन शक्ति प्रदान करता है और इसकी रणनीतिक प्रासंगिकता भी है। गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे भारतीय नौवहन उद्योग को अपने बेड़े को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने हेतु संसाधन जुटाने में सक्षम बनाने के लिए, मैं उनके संपूर्ण लाभ में से कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ, जो वर्तमान में 50% है, यदि इसे नए जहाजों की खरीद के लिए आरक्षित रखा जाए। यह 100% कटौती अगले वर्ष से शुरू होकर पाँच वर्षों तक उपलब्ध रहेगी।

150. मानव संसाधन में निवेश सतत आर्थिक विकास के लिए एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। मेधावी छात्रों, विशेषकर कम समृद्ध पृष्ठभूमि वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, मैं उच्च शिक्षा के लिए ऋण की अधिकतम पुनर्भुगतान राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे ऋण राशि 3 लाख रुपये से अधिक हो जाएगी, जिससे ऐसे छात्रों को उच्च शिक्षा, विशेषकर प्रबंधन और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की बढ़ती लागत को वहन करने में मदद मिलेगी।

151. व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपलब्धता बेरोज़गारी की समस्या को कम करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। यह एक ओर व्यापक बेरोज़गारी और दूसरी ओर उचित रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी के बीच विरोधाभासी असंतुलन को भी पाट सकता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए, मैं ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में निजी क्षेत्र द्वारा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और संचालन के लिए किए गए भुगतान में 100% कटौती की अनुमति देने का

प्रस्ताव करता हूँ।

152. कुछ महत्वपूर्ण लेकिन छिटपुट उपलब्धियों को छोड़कर, हम अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में कोई बड़ी ताकत नहीं हैं। कई अन्य गतिविधियों की तरह, आधुनिक खेलों और एथलेटिक्स को भी अपने विकास के लिए धन और बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होती है। जहाँ कुछ खेलों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है, वहीं अधिकांश अन्य पर्याप्त समर्थन के अभाव में संघर्ष करते हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए, मेरा प्रस्ताव है कि बुनियादी ढाँचे के विकास और खेलों के प्रायोजन के लिए कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ को दिए गए दान पर 100% छूट उपलब्ध हो। मुझे उम्मीद है कि इस रियायत से, आईओसी देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर ढंग से सक्षम होगा।

153. पिछले वर्ष, कॉर्पोरेट पुनर्गठन पर मेरे प्रस्तावों का भारतीय उद्योग जगत ने व्यापक स्वागत किया था। हालाँकि, कुछ प्रावधानों को स्पष्ट और युक्तिसंगत बनाने की लगातार माँग की जा रही है। इसलिए, मैं आयकर अधिनियम के प्रावधानों में उपयुक्त परिवर्तन करके इस संबंध में अस्पष्टताओं को दूर करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि राज्य विद्युत बोर्ड जैसे वैधानिक निकायों के विभाजन के परिणामस्वरूप बनने वाली कंपनियाँ, यदि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों को पूरा करती हैं, तो विभाजन का लाभ उठाएँगी।

154. पिछले वर्ष, मैंने हानि को आगे ले जाने और समायोजित करने के लिए उसी व्यवसाय को जारी रखने की शर्त को समाप्त कर दिया था। मैं उसी तर्ज पर अनवशोषित मूल्यह्रास को आगे ले जाने और समायोजित करने से संबंधित प्रावधानों को उदार बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। उसी व्यवसाय को जारी रखने की शर्त को समाप्त कर दिया जाएगा और अनवशोषित मूल्यह्रास को आगे ले जाया जा सकेगा और समायोजित किया जा सकेगा, भले ही उसी व्यवसाय को जारी न रखा जाए।

155. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित निगमों को अधिक पुनर्गठन लचीलापन और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, मैं कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभों पर कर छूट की शर्तों को और अधिक उदार बनाने और सार्वजनिक कंपनियों एवं सहकारी समितियों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों पर कर छूट की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएँ निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की जाएँ, तो अब उन्हें कर अधिकारियों की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

156. न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की गणना करते समय वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न छूटों और क्रेडिट प्रणाली ने मौजूदा प्रावधान की प्रभावशीलता को कमज़ोर कर दिया है और कानूनी जटिलताओं को भी जन्म दिया है। इन मुद्दों के समाधान के लिए, मेरा प्रस्ताव है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर अब कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित "बही लाभ" के 7.5% की संशोधित दर से लगाया जाए, न कि वर्तमान प्रभावी दर 10.5% पर। हालाँकि, अब यह एक समान रूप से लागू होगा - एक अपवाद को छोड़कर, जिसका मैं बाद में उल्लेख करूँगा। भुगतान किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर पर कोई क्रेडिट भी नहीं होगा। इससे सभी शून्य कर वाली कंपनियाँ कर के दायरे में आ जाएँगी, जो इस कर का मूल उद्देश्य भी है। नई प्रणाली में कर की कम दर, गणना की एक सरल विधि और एक समान वितरण का गुण है।

157. कम विकसित क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए, मैं औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों और औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थापित नई इकाइयों के लिए उपलब्ध कर छूट को अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी प्रकार, मैं नई लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए मौजूदा कर लाभ को अगले दो वर्षों, *अर्थात्* 31 मार्च, 2002 तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

158. हमारे पूंजी बाजार को मजबूत करने के लिए, मैं स्टॉक एक्सचेंजों के निवेशक संरक्षण कोष की आय पर 100% छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि उन्हें ऐसे कोष स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके।

159. वर्तमान में, घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश आय पर शेयरधारकों को कोई कर नहीं देना पड़ता है, केवल कंपनी अपने द्वारा वितरित लाभांश की राशि पर 10% की दर से अतिरिक्त आयकर का भुगतान करती है। लाभांश आय और ब्याज आय के कर निर्धारण में बड़े अंतर की व्यापक रूप से आलोचना की गई है। इस विसंगति को कम करने के लिए, मैं घरेलू कंपनियों द्वारा वितरित लाभांश पर कर की दर 10% से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं स्पष्ट करता हूँ कि शेयरधारकों को प्राप्त लाभांश आय कर-मुक्त बनी रहेगी।

160. इसी प्रकार, म्यूचुअल फंड और बैंक जमा व कॉर्पोरेट जमा जैसे अन्य साधनों से प्राप्त ब्याज आय पर अलग-अलग कर व्यवस्था से उत्पन्न विकृतियों को कम करने के लिए, मैं ऋण-उन्मुख म्यूचुअल फंड और यूटीआई द्वारा वितरित आय पर कर की दर 10% से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव करता हूँ। हालाँकि, मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि यूटीआई और म्यूचुअल फंड की यूएस-64 और अन्य ओपन-एंडेड इक्विटी-उन्मुख योजनाओं के तहत वितरित आय, वर्तमान की तरह, इस कर से मुक्त रहेगी।

161. वर्तमान में, बैंक और वित्तीय संस्थान 2% ब्याज कर का भुगतान करते हैं, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है। वित्तीय लेनदेन में इस बाधा को दूर करने के लिए, मैं इस कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह एक महत्वपूर्ण उपाय है जिससे वित्तीय क्षेत्र और परिणामस्वरूप बैंकों और वित्तीय संस्थानों के उत्पादों और सेवाओं के जमाकर्ताओं और उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा।

162. जीवन बीमा क्षेत्र अब खुल गया है और अब यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार नहीं रहेगा। वर्तमान में इस पर एक विशेष दर से कर लगाया जाता है, जिसमें बदले हुए परिदृश्य में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। मैं विशेषज्ञों की सलाह और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के आलोक में ऐसा संशोधन करना चाहूँगा। मैं

इस उद्देश्य के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव करता हूँ और मुझे आशा है कि वर्ष के दौरान इसकी सिफारिशों के आधार पर आवश्यक संशोधन किए जाएँगे।

163. बेहतर कर अनुपालन की दिशा में एक प्रमुख पहल "एक-से-छह" योजना की शुरुआत रही है। इसने, अन्य उपायों के साथ, करदाताओं की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो 1996-1997 तक लगभग एक करोड़ के स्तर पर स्थिर थी, लेकिन अब दो करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जिसमें सबसे बड़ी वृद्धि पिछले दो वर्षों में हुई है। कर आधार को व्यापक बनाने के लिए इस और अन्य उपायों से उत्पन्न गति को बनाए रखना आवश्यक है। इसलिए, मैं "एक-से-छह" योजना को मौजूदा 54 शहरों से बढ़ाकर देश के 79 अतिरिक्त शहरों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे 1991 की जनगणना के आधार पर दो लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी शहर इसके दायरे में आ जाएँगे।

164. अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप, विभिन्न एजेंसियों और विभागों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु एक समान व्यावसायिक पहचान संख्या (BIC) को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। हमारे संदर्भ में, आयकर विभाग का स्थायी खाता संख्या (PN) वह साधन होगा। शुरुआत में, CBEC और DGFT अपने करदाताओं, आयातकों और निर्यातकों के लिए PAN का उपयोग करेंगे। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में, PAN कार्ड बड़ी संख्या में लोगों के लिए प्राथमिक पहचान दस्तावेज़ के रूप में राशन कार्ड का स्थान ले लेगा।

165. पैन आवंटन अभियान को तेज़ करने के उद्देश्य से, मैं उन सभी शहरों में विशेष काउंटर खोलने का प्रस्ताव करता हूँ जहाँ वन-बाय-सिक्स योजना लागू होगी (उन 79 शहरों सहित जहाँ इस योजना का विस्तार किया जा रहा है), ताकि करदाताओं को आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर पैन कार्ड जारी किए जा सकें। यह सुविधा 1 जुलाई, 2000 से प्रभावी होगी।

166. महानगरों और बड़े शहरों के आसपास बड़ी संख्या में फार्महाउस बन गए हैं। इनमें से कई फार्महाउस आवासीय आवास और समारोहों व आयोजनों के लिए किराए पर दिए जाने से व्यावसायिक आय अर्जित करते हैं। इस आय पर कोई कर नहीं लगता, जिसे गलत तरीके से कृषि आय घोषित किया जाता है। मूल रूप से केवल वास्तविक किसानों के लिए निर्धारित छूट का यह स्पष्ट और प्रत्यक्ष दुरुपयोग न तो क्षम्य है और न ही इसे जारी रहने दिया जा सकता है। इसलिए, मैं कानून में उपयुक्त बदलाव करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वास्तविक कृषि कार्यों के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से फार्महाउस से होने वाली आय को कर के दायरे में लाया जा सके।

167. मेरी हार्दिक इच्छा है कि कर संग्रह प्रणाली को यथासंभव उपयोगकर्ता-अनुकूल और कुशल बनाया जाए। करदाता शीघ्रता, सुविधा और गरिमा के साथ करों का भुगतान कर सकें। इस दृष्टि से, मैं कर संग्रह की वर्तमान उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार और पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि करदाता राष्ट्रीयकृत बैंकों की किसी भी शाखा में, जहाँ उनका खाता हो, अपना कर जमा कर सकें। यह सुविधा 1 अगस्त, 2000 से वन-बाय-सिक्स योजना के अंतर्गत आने वाले सभी कस्बों और शहरों में उपलब्ध होगी। परिचालन संबंधी कारणों से, यह सुविधा शुरुआत में केवल कंप्यूटरीकृत शाखाओं में ही उपलब्ध होगी, लेकिन बाद में इसका निरंतर विस्तार किया जाएगा।

168. मैं रिफंड की प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। करदाताओं को उनके बैंकों को सूचित करते हुए रिफंड चेक भेजने की वर्तमान प्रथा जारी रहेगी, साथ ही, कर विभाग करदाताओं की इच्छा होने पर सीधे करदाताओं के बैंक खातों में रिफंड जारी करने की सुविधा भी प्रदान करेगा। परिचालन संबंधी कारणों से, यह सुविधा भी शुरुआत में बैंकों की कंप्यूटरीकृत शाखाओं से शुरू की जाएगी, और जैसे-जैसे बैंक कंप्यूटरीकृत होते जाएँगे, इसका निरंतर विस्तार किया जाएगा।

169. अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र को विशेष छूट की उम्मीद के साथ, हमारा आयकर अधिनियम छूटों का एक विशाल संग्रह बन गया है। आय, आय है और उस पर कर लगना चाहिए। कोई स्थायी छूट नहीं होनी चाहिए। इस दृष्टि से, मैं रियायतों और छूटों की मौजूदा व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने की दिशा में एक शुरुआत करना चाहता हूँ। विभिन्न प्रकार की निर्यात आय को वर्तमान में आय के 50% से 100% तक आयकर से छूट प्राप्त है। इसलिए, मैंने पाँच वर्षों की अवधि में इन रियायतों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया है। शुरुआत में, मैं वित्तीय वर्ष 2000-2001 से इन रियायतों को 20% तक और उसके बाद प्रत्येक वर्ष 20% तक वापस ले रहा हूँ जब तक कि ये शून्य स्तर पर न पहुँच जाएँ। मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा कि निर्यातकों को पूरी तरह से समाप्त होने तक MAT से छूट मिलती रहेगी। इस युक्तिसंगत उपाय से प्राप्त राजस्व प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और मानव संसाधन में अन्य निवेशों के वित्तपोषण में मदद करेगा।

170. मेरे युक्तिकरण उपायों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल चलाने वाले ट्रस्टों को छूट से वंचित नहीं किया जाएगा, भले ही उनके ट्रस्टी उनसे चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएँ प्राप्त करते हों। केवल ऐसे लाभ पर ही कर लगेगा।
- **सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में ट्रस्टों द्वारा किया गया निवेश**, *विनिवेश* के बाद भी, एक निश्चित अवधि तक पात्र निवेश बना रहेगा ।
- म्यूचुअल फंड और यूटीआई द्वारा लाभांश कर और वितरित लाभ पर कर के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज 2% प्रति माह से घटाकर 1.5% प्रति माह कर दिया जाएगा।

- कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में छूट पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बढ़ाई जाएगी।
- पेशेवरों द्वारा पुस्तकों के अनिवार्य रखरखाव के लिए सकल प्राप्तियों की सीमा 60,000 रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये की जाएगी।
- अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा विभागीय अपीलों के निपटान के लिए सलाहकार सीमा का प्रावधान कानून में किया जाएगा।

171. संक्षेप में, अध्यक्ष महोदय, इस बजट में प्रत्यक्ष करों पर किए गए विभिन्न प्रस्तावों के परिणामस्वरूप , 2000-2001 में अनुमानित राजस्व 72,105 करोड़ रुपये होगा, जिसमें 5,080 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने का घटक भी शामिल है।

172. अध्यक्ष महोदय, इन प्रस्तावों के साथ, मेरा अनुमान है कि केंद्र के लिए कुल कर राजस्व प्राप्तियाँ 1,46,209 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 1,11,275 करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% होगा। मैं राजकोषीय घाटे में और भी कटौती की माँग कर सकता था, लेकिन राजस्व जुटाने का एक बड़ा स्तर वर्तमान में चल रहे औद्योगिक सुधार को नुकसान पहुँचाता। इसलिए, अल्पावधि में, मुझे राजकोषीय समेकन की आवश्यकता और विकास चक्र के सुधार चरण को पोषित करने की आवश्यकता के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाना पड़ा। मुझे आशा है कि यह सम्मानित सदन इस बजट में मेरे द्वारा बनाए गए संतुलन का समर्थन करेगा।

173. विकास केवल अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है। यह रोज़गार बढ़ाने और हमारे लोगों, विशेषकर सबसे गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ग्रामीण विकास में तेज़ी लाने, सड़कों के निर्माण, आवास को बढ़ावा देने, ज्ञान-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और मानव संसाधनों की गुणवत्ता बढ़ाने के हमारे सभी कार्यक्रमों के साथ मिलकर सतत, व्यापक विकास, रोज़गार विस्तार को एक मज़बूत गति प्रदान करेगा। हमारे देश में गरीबी की समस्या का इससे बेहतर समाधान और कोई नहीं हो सकता।

174. महोदय, सहस्राब्दी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक मंच पर आगमन का संकेत दिया है। दो वर्षों में, हमने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय प्रतिभा और भारतीय प्रयास अद्वितीय हैं। दो वर्षों में, हमने यह सुनिश्चित किया है कि "मेड इन इंडिया" किसी भी उत्पाद या सेवा का पूरक हो। दो वर्षों में, हमने दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत 21वीं सदी में एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा। अब दुनिया की निगाहें हम पर हैं, और हम इसे पूरा करेंगे।

175. अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष बजट प्रस्तुत करता हूं।